हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 अगस्त, 1972

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 16 अगस्त, 1972

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
अध्यक्ष महोदय का निरूपण	(2)31
ध्यानाकर्षण सूचना	(2)32

सचिव द्वारा घोषणा	(2)33
व्यक्ति स्पष्टीकरण–श्री के एन गुलाटी द्वारा	(2)34
कार्य मन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन	(2)34
मेज पर रखे गए कागज पत्र	(2)35
सरकारी संकल्प– संसद को दोनों सभाओं द्वारा पारित संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक 1972 के बारे में	(2)36
व्यक्तिक्त स्पष्टीकरण– चौधरी प्रताप सिंह दौलता द्वारा	(2)44
सरकारी सकल्प पर विचार (पुनरारम्भ)	(2)44
बिल (ज)– दी पटियाला म्युनिसिंपल (ऐंग्जैक्टिव आफिसर्ज) हरियाणा अमैडमैट 1972	(2)51
दी पंजाब लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिज आफ मैम्बर्ज) हरियाणा अमैडमैट 1972	(2)61
दी हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज ऐड लैड (इविक्शन एण्ड रैट रिकवरी) 1972	(2)67

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 16 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल विधान भवन सैक्टर–1, चंडीगड में मध्यान्होपरान्त 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण प्रश्नोतर काल।

Free Education

***34 Shri K.N. Gulati**: Will the Chief Minister be pleased to State:-

(a) whether Government proposes to provide free education to the persons within the income group of Rs. 500; and

(b) if so, when?

Chief Minister (**Ch. Bansi Lal**):

(a) No.

(b) Does not arise.

श्री के एन गुलाटी: स्पीकर साहब, क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएगे कि इस वक्त कितनी आमदनी तक फ्री ऐजुकेशन है?

चौघरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, आमदनी का हिसाब नही है इस वक्त आठवीं तक फ्री ऐंजुकेशन हे।

श्री के एन गुलाटी: स्पीकर साहब, क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बतायेगें कि इस बारे में लडके और लडकियों में कोई भेदभाव हैं?

चौधरी बंसीलाल: अगर शड्यूल्ड कास्टस है, बैकवर्ड कलास्जि के है तो ऐसी बात इन केलिए है बाकी किसी लडके ओर लडकी के बारे में कोई ऐसी बात नही है।

एक आवाज: क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगें कि हरिजन लडके और लडकियों के लिए रियायतें हैं क्या सहुलियतें है?

श्री अध्यक्ष: सब फीस वगैरह माफ है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने उतर मे फ्री ऐजुकेशन के बारे में कहा है क्या फ्री ऐजुकेशन में स्टेशनरी ओर बुक्स भी शमिल हैं?

Ch. Bansi Lal: No, it does not. But if any Harijan needs such help in case of hardship, we can consider his case sympathetically.

Shrimati Chandravati: is the Government considering this thing for girl students?

Ch. Bansi Lal: Not at present.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the honourable Chief Minister if it is within the knowledge of the Government that fees are realised from harijan students in aided schools and no action is being taken against them?

Ch. Bansi Lal: I think we are giving grant-in-aid to those schools and they are not supposed to charge fees from Harijan students. If any school is charging these fees from the Harijan students, that should be brought to our notice and Government will take proper notice of that.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्या मुंख्य मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेगे कि इन्कम के लिहाज से किस हद तक फ्री ऐजुकेशन करने का विचार हैं?

चौधरी बंसीलाल: स्पीकरसाहब, इस वक्त हमारा किसी चीज को करने का इरादा नहीं है।

श्री के एन गुलाटी: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने अपने जवाब में कहा है कि 500 रूपए मासिक इन्कम वाले कर्मचारियों लोगों के लिए सरकार का फ्री ऐजुकेशन देने का कोई

विचार नही है। तो क्या मै इन से यह पूछ सकता हूं कि यह गरीबी हटाओ का नारा कब तक साकार हेागा?

श्री अध्यक्ष: गुलाटी साहब, आप तशरीफ रखिये मूल प्रश्न से तो यह प्रश्न ही पैदा नही होता।

एक सदस्य: स्पीकर साहब, कई स्कूलों मे हरिजन लडके ओर लडकियों की फीस माफ नही होती । अगर कोई ऐसे केस सरकार के नोटिस मे लाए जाएं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार रहेगे।

Ch. Bansi Lal: I have already given an assurance to that effect.

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी कहते है कि इस बारे अश्योरैस दी जा चुकी है।

श्री गणपत राय: स्पीकर साहब, अगर सी एम साहब ने अश्योरैस दी है तो मै ऐसे स्कूल का नाम बता सकता हूं। जहां पर हरिजनों से फीस ली जा रही है। नाम है वैश्य हाई स्कूल चरखी दादरी।

चौधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, जहां हरिजन लडके ओर लडकियों की फीसें माफ की गई है। जैसा कि सरकार ने किया है तो मै चीफ मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी दूसरी बरादरीज भी है। दूसरी कुछ क्लासिज भी है जो उन से गरीब है जिन को इस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं?

चौधरी बंसीलालः स्पीकर साहब, कई ऐसे कैटेगरीज हैं जैसे ऐक्स सर्विस मैन है उनके बच्चों को ओर जो आर्मी के जवान पिछली लडाई मे मारे गये है। उनके बच्चों को भी रियायतें दी जाती है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, जा हरिजन लडके लडकियों के लिये रियायतें दी हुई है। उनकी क्या वजुहात है?

Ch. Bansi Lal: It is very well known Speaker Sahib.

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जिन लोगों की इकोनौमिक हालत 1 हजार तक की है। उन लोगों को भी क्या सरकार का फ्री–ऐजुकेशन देने का कोई विचार है?

चौधरी बंसीलालः फिलहाल नही।

Ch. Phool Chand (Mulana): Does the Government propose to project this free education up to Matric for all?

Ch. Bansi Lal: Not yet.

Overseer's Diploma Holders in Haryana State Electricity Board

***107. Ch. Dal Singh**: will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the names of overseer's diploma holders working in Haryana State Electricity Boart at present under various low categories i.e. lineman, A.L.M. and T. mates etc. ;

(b) whether it is a fact that Overseer's Diploma holders were directly appointed as line Superintendents in the past; if so, the reasons for not promoting those Diploma holders who are working under various low categories i.e. line man, A.L.M. and T. Mates. at present; and

(c) the total number of posts of Line Superintendents lying vacant in Haryana State Electricity Board at present?

Chief Minister (**Bansi Lal**): (a), (b) and (c): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) A list containing the names of Diploma Holders working against lower category posts is enclosed.

(b) Persons possessing three years Diploma were appointed directly as Line Superintendents against two-third of the vacancies. Even now this is being done. However, persons who join lower category posts can be promoted only in their own turn. One-third of the total vacancies of Line Superintendents is filled in by Departmental promotion from amongst lineman who possess three years Diploma, I.T.I. Certificate etc.

(c) Nil.

Names of the diploma holders working against lower cateogry posts,

Sr. No.	Name Sarvshri
1.	Ved Vias
2.	Jadish Chander
3.	Inderjit
4.	Narander kumar
5.	Roop Singh
6.	Raja Ram
7.	Partap Singh
8.	Panjab Sjingh
9.	Veer Bhan
10.	Ram kumar
11.	Thakar Dass
12.	Subesh Chander
13.	Sunder Dass
14.	Sarwan Kumar
15.	Teja Singh
16.	Subash Chander
17.	Neki Ram
18.	Phusa Ram

19.	Amer Chand
20.	Milakh Raj
21.	Sunder Lal
22.	Joginder Singh
23.	Lajpat Raj
24.	Gurdev Singh
25.	Ram kumar
26.	Gian Chand
27.	Fateh Chand
28.	Prem Nath Garg
29.	Chander Mohan
30.	Om Parkash
31.	Jai Ram
32.	Ramesh Chander
33.	Madan Lal
34.	Subash Chander
35.	S.K. Malik
36.	Bhoop singh
37.	Malik Singh

38.	Harish Dev
39.	Om Singh
40.	Zorawar Singh
41.	D.k. Aggrewal
42.	Hari Chand
43.	Ram Kumar
44.	Ram kumar
45.	Ramesh Kumar Malhotra
46.	Sat Pal
47.	Jaspal Singh
48.	kirti Singh
49.	Rameshwar
50.	Rud Singh
51.	Rajesh Chander
52.	Harjit Singh
53.	Krishan Chand
54.	Ram Saroop
55.	Om Parkash Monga
56.	Ram Kanwar

57.	Om Parkash
58.	Virender Kumar
59.	Om Parkash
60.	Mani Ram
61.	Ram Nath
62.	Tirloki Sharma
63.	DAvinder Kumar
64.	Shiv Chander
65.	Vinod Kumar
66.	Sohan Lal
67.	Ishwar Dass
68.	Darshan Lal Girdhar
69.	Balraj
70.	Rajinder Singh
71.	V.k. Chawla
72.	S.C. Grover
73.	Chander Sekhar
74.	Sher Singh
75.	Radha Charan

76.	Baljit Singh
77.	Sumer Chand
78.	Mani Ram
79.	Bhagat Singh
80.	Sham lal
81.	Barjesh Kumar
82.	Mala Ram
83.	Charan Dass
84.	B.B. Jeswal
85.	Sarwan Kumar
86.	Jawahar Lal
87.	Inderjit Singh
88.	Om Parkash
89.	O.P. Mehta
90.	Sham sunder
91.	Ram Dayal
92.	R.K. Goyal
93.	Dharam Paul
94.	Rameshwar Dass

95.	Chander Mohan
96.	Kharaiti Lal
97.	Mani Ram
98.	Basant Lal
99.	Rajender Singh
100.	Lakhmi Chand
101.	Parmood Kumar
102.	Mahavir Singh
103.	Rattan Lal
104.	Madan Lal
105.	Sada Ram
106.	Dharam Paul
107.	Nanak Singh
108.	Sushil Kumar
109.	Ram Kanwar Singal
110.	Bhim Singh
111.	Inder Singh
112.	Gian Singh
113.	Raj Singh

114.	Satish kumar
115.	Arjun Dev
116.	Banwari Lal
117.	Ram Karan
118.	Puran Lal
119.	kashmiri Lal
120.	Prem Chand
121.	Bal Kishan Gupta
122.	Amar lal
123.	Sewa Ram
124.	Ishwar Dass
125.	Asa Ram
126.	Om Parkash
127.	Darshan Singh
128.	Harish Chander
129.	Bhagwan Dass
130.	Thakur Dass
131.	Som Nath
132.	Om Parkash

133.	Kanwal Nain
134.	karan Singh
135.	Subash Chander
136.	Om Parkash
137.	Maha Singh
138.	Uttam Chand
139.	Narain Datt
140.	Naresh Kumar
141.	Purshotam Dass
142.	Sat Paul
143.	Mulkah Raj
144.	Iswhar DAtt
145.	Yash Paul
146.	Subash Chander
147.	Baldev Ram Jain
148.	Subhash Chander Bhalla
149.	Surinder kumar
150.	Kamal Singh
151.	Tara Chand

152.	Bhagat Singh
153.	Tara Chand
154.	Mange Ram
155.	Rajpaul Dhankar
156.	Ramphal
157.	Ved Parkash
158.	Ramdhan Sharma
159.	Raj Paul
160.	Balwant Raj
161.	Om Parkash
162.	Ram Parkash Sharma
163.	Ram Mehar tundu
164.	jag Mohan
165.	Kishori Lal Chhabra
166.	Om Parkash
167.	Dev Raj Chawla
168.	Ram Niwas Sharma
169.	Jangi Ram
170.	Bhishmbar Dayal

171.	Sher Shah Singh
172.	Ved Parkash Harit
173.	Ram Chander
174.	Satbir Singh
175.	Darshan Kumar Grover
176.	Prem Singh Kundu
177.	Ram Murti
178.	Bhim Sain
179.	Bal kishan
180.	Dayal Chand
181.	R.C. Bajaj
182.	Som Parkash
183.	Ved Parkash
184.	Malik Ram
185.	J.P. Bhardwaj
186.	Sat Pal
187.	Brij Mohan
188.	Raj Krishan
189.	Tilak Raj

190.	Suraj Bhan
191.	Ved Parkash
192.	Jagdish Chander
193.	Ramesh Chander
194.	Ram Kumar
195.	Vijay Pal Singh
196.	Raj Roop
197.	Om Parkash
198.	Ram Javiya
199.	Subash Chander
200.	Dharam Chand
201.	Joginder Singh
202.	Rishal Singh
203.	Rajinder Pal
204.	Mam Chand
205.	Vinod Kumar
206.	Ram Kumar
207.	Bansari Lal
208.	Ram Singh

209.	Suresh Kumar
210.	Dharam Singh
211.	Raj Kumar
212.	Sham Lal
213.	Brijesh Kumar
214.	Bal Chand
215.	Surinder Singh
216.	Surinder Lal
217.	Balraj Kumar
218.	Narinder Datt
219.	Shiv Kumar
220.	Ashok Kumar
221.	Mahesh Chander
222.	Afroz Khalid
223.	Surinder pal
224.	Satnam Raj
225.	Vijay Kumar
226.	Mangal Sain
227.	Suresh CHand

228.	Naresh Kumar
229.	Sham Sant
230.	Surinder Kumar
231.	Savraj Raj
232.	Rajinder Kumar
233.	Radhan Krishan
234.	Roshan Lal
235.	Jaswant Singh
236.	Baljit Singh
237.	Surinder Pal Singh
238.	Tirloki Nath
239.	Mihan Ram
240.	Mohinder Singh
241.	Kishan Chand
242.	Manohar Lal
243.	Harbans Singh
244.	Sohan Pal
245.	Sudesh Kumar
246.	Ramesh Chander

247.	Kali Ram
248.	Surinder Kumar
249.	Mul Raj
250.	Om Parkash
251.	Dayal Chand
252.	Sham Sunder
253.	Inder Lal Khana
254.	vikram Singh
255.	Mahavir Parshad
256.	Pritam Singh
257.	Bimal Chand Bansal
258.	Kishan Chand Girdher
259.	Chatar Bhuj
260.	Kamlesh kumar
261.	Suresh Kumar Behal
262.	Dalbir Singh
263.	Mani Ram
264.	Suraj Kishan
265.	Ram Kishan

266.	S.k. Anand
267.	Baldev Ahuja
268.	S.P. Gupta
269.	Ram Phal
270.	Mahabir Singh
271.	Jagdish Prashad
272.	Jai Parkash
273.	Ramesh Chand
274.	Om Parkash
275.	Prem Parkash
276.	Bhushan Lal
277.	Shiv kumar
278.	Rameshwar Dayal
279.	Raj kumar
280.	Ved Parkash
281.	Dharam Paul
282.	Dev Datt
283.	Subash Chander
284.	Rajinder Kumar

285.	Chander Mohan
286.	Ajay Kumar

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने अपने जवाब के पार्ट (ए) मे ंकहा हैं कि 286 ऐसे डिप्लोमा होल्डर्ज है जोकि छोटी कैटेग्री मे काम कर रहे है ओर जवाब के पार्ट (बी) मे यह फरमाया है कि डायरैक्ट भर्ती की गई है। डायरैक्ट भर्ती के क्या कारण है जबकि ऐम्लायमैट ऐक्सचेंज ओर एस एस बोर्ड से लोग भर्ती किये जा रहे है।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, इसके लिये कुछ नियम बनाए हुए है। ऐम्पलायमैट ऐक्सचेंन्ज से हम ऐडहाक बेसिज पर लेते है। कम्पीटिशनज मे जो लोग आते है उनकी क्वालीफिकेशन्ज को देखते हुए तो तिहाई डायरेक्ट लिये जाते है। ओर एक तिहाई बाई प्रोमोशनज भर्ती की जाती है। ओवर एण्ड अबब जो प्रोमोशनज है वे सीनियरिटी कम मैरिट के हिसाब से देते है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इन्होनें कहा है कि दो तिहाई पोस्टें डायरेक्ट भरते है बाकी जो प्रोमोशनज होती है। वे एक तिहाई के हिसाब से करते है तो क्या ये हमें विश्वास दिला सकते है कि जो जगह खाली होगी शेष दूसरे आदमियों को भी ये मोका देगे?

चोधरी बंसीलालः स्पीकर साहब, दो तिहाई डायरेक्ट भर्ती करते है। ओर बाकी की एक तिहाई बाई प्रोमोशन करते है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, क्या कोई ऐसे केसिज सरकार के नोटिस में आये है। कि लोग जो 10 साल से टीमेट का काम कर रहे हो ओर वे सारी क्वालीफिकेशन्ज भी फूल फिल करते हो ओर उनको ए एल एम न बनाया गया हो?

चौधरी बंसीलालः ऐसा कोई केस मेरे नोटिस में नही है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेगे कि जो 286 डिप्लोमा होल्डर एल एम ए एल एम टी मेट वगैरह काम कर रहे है। ओर दूसरी तरफ जो लाईन सुप्रिन्टेन्डन्ट काम कर रहे है। इनकी क्वालीफिकेशनज भी एक हैं। क्या इन दोनां कैटेगरीज की तनख्वाहों मै कोई फर्क है कि नहीं?

चौधरी बसीलालः स्पीकर साहब, दोनो की तनख्वाहों मे फर्क है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने उतर के पार्ट (ए) में 286 डिप्लोमा होल्डर्ज बताए है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि कितने टी मैटस है कितने एल एम है कितने ए एल एम है। वगैरह वगैरह?

चोधरी बंसीलाल: स्पीकर साहब, एल एम108, ए एल एम 81, टी–मेट 7, ए एफ एम 11, इलैक्ट्रिक मिस्तरी 1, एस एस ए 1, एस ए 67, ए एस एस ए 48, लैबोरेटरी असिसस्टैन्ट 6, वर्क इन्सपैक्टर 1, फिटर 1, जे डी एम 1, टेलीफोन मैकनिक 3, कुल 286 |

श्री उमेद सिंह: स्पीकर साहब, क्या मुख्यमंत्री साहब यह बताने की कृपा करेगे कि इस समय कितने डिप्लोमा होल्डर अन–ऐम्पलायड है।

चौधरी बंसीलाल: यह तो लेबर मिनिस्टर से पूछना होगा।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Hon. Chief Minister as to what will be the criterion for promotion of employees with equal qualifications i.e. Diploma Holders from T.Mates to Line Superintendents and next posts?

Ch. Bansi Lal: Seniority cum merit.

चौधरी दल सिंह: मुख्यमंत्री साहब ने बताया था कि सरटन जगहों पर डिप्लोमा होल्डर्ज टीमैटो का काम कर रहे है। क्या मै जान सकता हू कि सरकार इस बात पर अमल करेगी कि जब तक उन सब टी मेटों को प्रोमोट न कर दिया जाए उतनी देर तक कोई बाहर से नही लगाया जाएगा?

चौधरी बसीलालः पालिसी तो स्पीकर साहिब, वही रहेगी। जो वैकेसीज खाली होगी उन पर टू थर्ड ओर वन–थर्ड की रेशों से आदमी लगाये जायेगे। वन थर्ड पोस्टों जैसा कि मै पहले बता चुका हूं वाई प्रोमोशन भरी जाएगी। दरअसल स्पीकर साहब, जिस वक्त हरियाणा मे सब गांवों तक बिजली पहुचाने का काम चल रहा था उस वक्त बहुत ज्यादा आदमी भर्ती किए गए थे ओर बिजली का काम होने के बाद उतनी वेकैसीज नही रही बलिक काफी स्टाफ सरपल्स हो गया, लेकिन जैसे जैसे डिमांड होती है हम ने जो फारमूला बनाया हुआ है उस के हिसाब से प्रोमोशन भी देते है ओर टू थर्ड रिकूमैट बाहर से भी करते है।

चौधरी दल सिंहः चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि 108 डिप्लोमा होल्डर टी मेट लगे हुए है। क्या मै जान सकता हूं कि वे कितने दिनों से टी–मेट का काम कर रहे है।

चौधरी बंसीलालः मैनें टी–मेट का नम्बर 7 बताया था 108 तो एल एम बताएं है।

चौधरी शिव राम वर्माः मुख्यमंत्री साहब बताएगें कि यह जो टू थर्ड ओर वन थर्ड की कण्डीशन टी–मेटों ओर एल एम्ज के बारे में रखी हुई है इस को हटाने के लिए सरकार विचार करेगी?

चौधरी बंसी लालः यह जो रिकूमैट का प्रैजैट प्रोसीजर है वह बैस्ट प्रोसीजर है। इसलिए इस का हटाना ठीक नही रहेगा।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon. Chief Minister whether the Government could ask the Haryana State Electricity Board to consider the desirability of at least promoting those seven T.Mates who are Diploma Holders as Line Man?

Ch. Bansi Lal: As and when any vacancy arises.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या मुंख्यमंत्री साहब बताएगें कि हरियाणा मे कितने लाईनमैन ओर कितने ए एल एम सरपल्स है।

चौधरी बसीलाल: इस के लिए मै पहले ही कह चुका हूं कि नोटिस चाहिए।

Courses of 9th and 10th Classes etc.

***119. Ch. Ram Lal Wadhwa**: will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that Courses of 9th and 10th Classes were approached by the Board of School Education, Haryana, Chandigarh. vide its circular No. 4072-5902 dated 21st April, 1972 for the Matriculation Examination 1972 and 9th Classes and Higher Secondary Part I (Compulsory Subject) Examination 1974;

(b) whether it is also a fact that Algebra (Adhunik Beej Ganit) and Hindi Grammar & Composition both written by Shri Suraj Balram, for 9th Class have been dropped by the said Board vide its Circular No. 8206-9705 dated 5th July, 1972, after the classes have started; and

(c) if so, the reasons therefor?

Chief Minister (**Ch. Bansi Lal**):

(a) Yes, Except that the year of Matriculation Examination is 1974 and not 1972; and Circular No. is 4702-5902/W and not 4072-5902.

(b) Yes, However, Messrs, Suraj Balram & Co., 905, Chawri Bazar, Delhi are the publishers and not the writers of these books.

(c) Under the agreement executed by the publishers a royalty of 15% calculated on the price printed on the book against the supply of insignia stamps of the Board, to be pasted on the inner title cover of every book before sale supply to any quarter, was to be paid by them to the Board. The publishers contravened the provisions of the agreement by making the books available in the market without pasting the proper insignia stamp of the Board and thus deceived the Board by evading the payment of royalty. Accordingly these books were dropped security forfeited and firm black listed.

चौधरी रामलाल वधवा: क्या मुख्यमंत्री साहब बताएगें कि इन किताबों को क्लासिज शुरू होने के बाद क्यों बंद (ड्राप) किया गया?

चौधरी बंसीलाल: जब पब्लिशर्ज ने ऐग्रीमैट की जो शरायत थी उनकी कन्ट्रावैशन की ओर बोर्ड को डिसीव किया तो उन को पहले बाकायदा अपर्चुनिटी देने के बाद उस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया ओर उनकी किताबों को भी ड्रोप किया गया।

They were given an opportunity of being heard and their reply was not satisfactory. After that the action was taken given.

चोधरी रामलाल वधवा: क्या मुख्यमंत्री साहब बताने की कृपा करेगें कि जो किताबों विदडा की गई है। उनकी जगह ओर किताबों लगा दी गई है। ताकि बच्चों की पढाई पर असर न पडे?

चौधरी बसीलाल: हां जी उन किताबों से मिलती जुलती किताबें पहले ही लगा दी गई थी इस लिए बच्चों की पढाई पर कोई असर नही पडता है।

श्री अमर सिंह: क्या यह बात सरकार के नोटिस मे है कि जो किताबें पांचवी छटी नवी ओर दसवी की चेंज कर दी है उन को छः छः महीने तक नई किताबे नही अवेलेबल हुई?

चौधरी बंसीलाल: मै आप का सवाल समझ नही सका आप फिर से रिपीट कर दे।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल इस से उत्पन्न नही होता।

Free Medical Treatement

***35. Shri K.N. Gulati**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether Government proposes to provide free Medical treatment to the persons within the income group of Rs. 500/ per month and

(b) if so, when?

Deputy Minister Health (**Shrimati Sharda Rani**):

(a) No.

(b) Question does not arise.

श्री के एन गुलाटी: क्या मुंख्यमंत्री साहब बताएंगे कि इस वक्त कितनी आमदनी वाले को फ्री मैडिकल ट्रीटमैट दिया जाता है?

मुख्यमंत्री (**चौधरी बंसीलाल**): 150 रूपए माहवार तक जिस की आमदनी हो।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Chief Minister whether the Government will be pleased to increase the limit from Rs. 150/ to Rs. 300 Keeping in view the shooting prices?

Ch. Bansi Lal: Mr. Speaker, Sir, so far as this thing is concerned, it will have a very serious financial implications. So, the government cannot do it under the present circumstances. But I may add that even now in our State the per capita expenditure on medicines and the Medical Department is the highest in the country and during the last four years it has come from Rs. 5/ to Rs. 10. And we are doing our best to give more medical facilities t our people. We are trying to improve every hospital in the State and, I think Haryana is the leading will quote the figures of per capita expenditure on medicines in other States that I have got. I cannot say whether they are authentic. But whatever

information the State Government has got I will give and it is as under:-

Rajasthan	50p
Bihar	13p
Himachal Pradesh	71p
Mysore	72p
Madhya Pradesh	38p
Punjab	62p
Meghalya	58p
Goa, Daman & Deo	70p
Haryana	85p

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने जो बातें बताई है दूसरेां से मुकाबला करके उस से हमें खास लाभ नही पहुचता । हम ने तो देखना यह है कि हमारे प्रदेश के लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप चौधरी साहब पूछना क्या चाहते है?

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मै पूछना चाहता हूं कि अस्पतालों मे गरीब आदमी तीन तीन चार चार वर्ष दिन बाहर पडे रहते है। ओर उनको कोई अटैंड नही करता। इन बातों

को जो आम तौर पर रोज देखने मे आती है। ठीक करने के लिए सरकार क्या इन्तजाम कर रही है?

Ch. Bansi Lal: I fully agree with the Hon. Members that the poor people must be given free medical aid and if Honourable. Members bring any such case to the notice of the Government, it will take action against those doctors and staff of the Hospital. But so far as this question is concerned, I wish the Honourable Member should go through it. It says "whether Government proposes to provide free medical treatment to the persons within the income group of Rs. 500 per mensen" In that limit the Honourable Member, Ch. Shiv Ram, would also come because he is also drawing Rs. 500/- per month. (Laughter)

श्री गणपत राय: जो गरीब लोग है और जिन के पास आमदनी का कोई साधन नही है उनको अगर डाक्टर को घर पर बुलाने की जरूरत पडती है। तो उससे 25 रूपयये जाम कराये जाते है। जिसे वह दे नही पाता है क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेगें कि यह 25 रूपये फीस हटाने की कोई तबवीज वे रखते है।

चौधरी बंसी लाल: मै नही समझता कि सब जगह ओर हर डाक्टर की इतनी फीस है। अलग अलग डाक्टर की अलग फीस हेाती है। ओर अगर कोई डाक्टर को घर पर बुलायेगा तो उसके मुताबिक उसकी फीस तो देनी ही पडेगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know from the Chief Minister whether, in view of the fact that poor people can hardly afford to send for doctors at their residence he would consider the desirability of arranging such medical aid for those persons, who need the doctor badly in serious cases and who can hardly make both ends meet?

Ch. Bansi Lal: Mr. Speaker, Sir, this point is really worth consideration and the Government will consider it. And although I cannot commit at this stage whether we wuld be able to do it or not, I must say that the suggestion is quite good and we will examine it.

श्री के एन गुलाटी: यहां पर बताया गया है कि जिनकी 150 रूपये आमदनी है। उनको फ्री मैडिकल एड मिलती है मै यह जानना चाहता हू कि क्या 150 रूपये वालो को रैगुलेर तौर पर यह एड मिलती है। या नहीं? मै तो कहता हूं कि बिल्कुल फ्री ट्रीटमैट नही देते है मै यह सच कहा रहा हूं।

चौधरी बंसीलाल: स्पीकर साहब, इस वक्त मे एक बात ओर कह दूं कही ऐसा न हो कि आपको हमसे नाराजगी हो जाये। इस हाउस के एक आनरेबल मैबर श्री के एन गुलाटी सात तारीख को बादशाह खान हस्पताल मे गये ओर वहां जाकर नारे लगाने लग गये जिससे वहां बीमारों को काफी तकलीफ हुई बल्कि बीमारों ने तो शिकायत की कि ऐसे आदमी को जो अस्पताल में हुल्लडबाजी करता है। गिरफ्तार किया जाये। मै अर्ज करता हूं कि हम नही चाहते है कि इस सदन के किसी आनरेबल मैबर को कोई

थोडी सी तकलीफ भी हो लेकिन इस सदन का मैबर एक आनरेबल मैबर की तरह बीहेब करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री के एन गुलाटी: आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन.....

श्री अध्यक्ष: आप देखिये यह बात क्वैश्चन आबर मे नही होती है इसे आप बाद मे कर सकते है अगर करना चाहे।

श्री के एन गुलाटी: मै लेबर माइडिड हूं इस लिये लेबर के बारे में गरीब के बारे में जो दिक्कत होती है उसे मैं जरूर नोटिस मे लाऊंगा। मै ने वहां पर बाहर मुजाहरा किया अन्दर नही किया जिससे किसी को तकलीफ हो।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएगें कि इस मंहगाई को देखते हए 150 रूपये की बजाये यह लिमिट 500/600 रूपये तक करेन के लिए तैयार है?

चौधरी बंसीलाल: अगर महंगाई बढती है तो उसके साथ साथ दवाइयों की कीमत भी तो बढ़ती है।

चौधरी शिवराम वर्मा: चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि महंगाई बडती है तो दवाईयों की कीमत भी बढती है मै कहता हूं कि इसके अलावा गरीबी भी बढती है ओर इस गरीबी को दूर करने के लिए तीन बातें जरूरी है। शिक्षा चिक्तिसा ओर न्याय।

इन तीनों मे से एक बात यहां सामने आई है लेकिन इसकी तरफ सरकार को ध्यान करने की फुरसत नही मिली है।

चौधरी बंसीलाल: मै मैबर साहब से सहमत हूं कि गरीबी भी बढती है। गरीबी दूर करने के लिए जब हाउस में बात लाउंगा तो देखूंगा कि मैबर साहब उसे कितने जोर के साथ स्पोर्ट करते है? (हंसी)

Pending Mutation cases in Jind district

*108. Ch. Dal Singh: will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total number of mutation cases pending in Jind District as on 31st March, 1972 contested and uncontested separately; and

(b) the number of mutation cases out of those referred to in part (a) above which are one year, two years and three years old separately?

मुख्यमंत्री (चौधरी बंसीलाल):

(ए) मुतनाजा इन्तकाल –शुन्य

गैर मुतनाजा –385

(बी) एक वर्ष पुराने इन्तकाल –शून्य

दो वर्ष पुराने इन्तकाल – शून्य

तीन वर्ष पुराने इन्तकाल — 5

चौधरी दल सिंहः चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि कनटैस्टिड म्यूटेशन कोई नही, अनकनटैस्टिड 385 एक साल ओर दो साल पुराना कोई नही ओर तीन साल पुराने पांच। तो मै जानता हूं कि ये जो 385 बाकी रहते है ये कितने पुराने है?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, बात यह है कि इस वक्त जब मैं इस सप्लीमैंटरी का जवाब दे रहा हूं इनमें से 380 इन्तकाल बाकायदा डिस्पोज आफ हो चुके हैं। इस वक्त जींद जिला में पांच इन्तकाल बाकी है जो तीन साल पुराने हैं और वह भी इसलिए कि हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे रखें हैं और इस वजह से आगे कार्यवाही नहीं हो सकती है।

चौधरी दल सिंहः यह जो रजिस्ट्रियां होती है उनका हर महीने एक पर्चा यादाश्त बनता है जो पटवारी और तहसीलदार को जाता है और उसकी बिना पर यह लाजमी है कि एक महीने के अन्दर इन्तकाल दर्ज हो। यह जो आपने कहा कि इस वक्त कोई भी नहीं है यह नाजायज और गल्त बात है और मैं तो यह कहूंगा अगर आप बुरा न मानें कि यह सौ फीसदी झूठ बात कही गई है। सब को इस बात का पता है कि लैंड सीलिंग से बचने के लिए धड़ाधड़ रजिस्ट्रियां हो रही है लेकिन यह कहते हैं कि एक भी इन्तकाल पैंडिग नहीं है और ....

श्री अध्यक्षः जो आपने प्रश्न पूछा है यह तो उसका जवाब आया है जो सरकार ने दिया हैं। अगर आप इसे गलत समझते है तो चैलज कर सकते है ।

चौधरी दल सिंहः यह ठीक है लेकिन जवाब भी तो ठीक ढग का आना चाहिये । मेरी गुंजारीश ठीक हे कि मै जानना चाहता हूँ कि यह जो जवाब इन्होने दिया है वह पर्चा यादाश्त घ्यान मे रखते हुये दिया है या जो रिपोंर्ट नीचे से अफसरो ने दे दी उसके मताबिक है

चौधरी बंसी लालः जहां तक 385 इन्तकालो का संबध था उन मे से 5 इन्तकाल तीन साल पुराने है । 181 इन्तकाल ऐसे थे जो एक महीने से कम अर्से के थे, 10084 और 15 तरतीबवार एक महीने, तीन महीने और 6 महीने के थे। ये सारे डिस्पोज आफ हो चुके हैं। मेरे पास जो इनफर्मेशन आई है वह यह है। अगर मैंबर साहब समझते हैं कि इसमें गल्त बात है तो वे मेरे नोटिस में लायें मैं जरूर ऐक्शन लूंगा।

चौधरी दल सिंहः क्या यह सच है कि जब भी कोई इन्तकाल तसदीक किया जाता है तो तसदीक करने वाली अथारेटीज उनसे मजबूर करके स्माल सेविंग के लिए चंदा लेती है और वह पैसा सरकारी खजाने में न जाकर उनकी जेबों में जाता है ?

चौधरी बंसी लालः ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अमर सिंहः क्या यह सच है कि हैडक्वार्टर पर एस0डी0एम0 जब म्यूटेशन तसदीक करता है तो उस वक्त उनसे स्माल सेविंग के खाते तो नहीं वैसे चंदा के रूप में पैसे लिये जाते हैं और क्या ऐसी कोई घटना आपके नोटिस में है ?

चौधरी बंसी लालः शिकायतें तो कई बार की जाती है लेकिन जब मैं कहता हूं कि कोई स्पैसफिक इनस्टांस दो तो कोई देता नहीं है जिस पर इनक्वायरी की जा सके। इस सदन में कई दफा यह बात आई है और मैंने बार बार कहा है कि काई स्पैसफिक इनस्टांस दोगे तो खास तौर पर इनक्वायरी कराऊंगा और अगर कोई इस तरह का काम करता पकड़ा गया तो ऐक्शन लिया जायेगा।

चौधरी रहीम खांः मैं जानना चाहता हूं कि मैंने इस किस्म की शिकायत तहसीलदार फिरोजपुर झिरका के खिलाफ दी हुई है उसके बारे में क्या ऐक्शन लिया गया है ?

चौधरी बंसी लालः उसकी नक्वायरी हो रही है। मैंने इनके सामने ही इनक्वायरी मार्क कर दी थी।

चौधरी दल सिंहः मैं कहता हूं कि आप हर म्यूटेशन के लिए कोई खास रकम मुकर्रर कर दो, पचासं रूपये रख दो, दो सौ रूपये रख दो, इसमैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ....

श्री अध्यक्षः आप पूछना क्या चाहते हैं ? आपने जो पूछना है वह पूछें।

चौधरी दल सिंहः मैं यह जानना चाहता हूं कि आया चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि म्यूटेशन के वक्त स्माल सेविंग के नाम पर या और नाम पर जो रकम वसूल की जाती है उसके बारे में कोई खास रकम मुकर्रर करना चाहते हैं ताकि लोग आराम से द सकें और उनको पता हो कि इतनी देनी है न कि यह हो कि अफसर अपननी मनमानी करें ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, हम इन्तकाल पर किसी किस्म की राशि फिक्स नहीं करना चाहते और न ही किसी आदमी से इन्तकाल के वक्त कोई चन्दा लेना या स्माल सेविंग करवाना चाहते हैं। अगर सिकी इंडिविज्वल केस के बारे में आनरेबल मैंबर गवर्नमैंट को सूचित करें कि फलां आफिसर ने ऐसा किया है तो गवर्नमैंट उस अफसर को सजा देने से बिल्कुल नहीं हिचकचाएगी। आनरेबल मैंबर वेग ऐलीगेशन लगाते हैं, हम इन्कवायरी किस के खिलाफ करवाएं ?

श्री अमर सिंहः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि म्यूटेशन से पहले जो रजिस्ट्रेशन होती है उस वक्त तहसीलदार साहब या सब–रजिस्ट्रार साहब चन्दा लेकर या स्माल सेविंग करवा कर रजिस्ट्रेशन करते थे ?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का जवाब पहले आ चुका है।

Ch. Bansi Lal: Hon'ble Member never raised this point earlier. He has come forward with this complaint for the first time.

चौधरी चांद रामः क्या मुख्य मंत्री साहब ऐसी हिदायतें जारी करेंगे कि म्यूटेशन के वक्त किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का चन्दा नहीं लिया जाएगा ?

चौधरी बंसी लालः ऐसी हिदायतें पहले ही जारी की हुई है।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, इस संबन्ध में स्पैसिफिक केस बताए जा सकते हैं, मुख्य मंत्री महोदय के पास भी शिकायतें आई है लेकिन उन शिकायतों पर अभी तक ऐक्शन नहीं लिया गया। यह आम बात है और सारे हरियाणा में शोर मचा हुआ है कि ....

श्री अध्यक्षः आप पूछना चाहते हैं ?

चौधरी शिव राम वर्माः मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में ऐसे स्टैप्स लिए जाएं .... (विघ्न) सरकार ऐसे पग उठाए जिससे ....

श्री अध्यक्षः तो आप का मतलब है सुधार दिया जाए, सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, यही मतलब है आपका .... (व्यवधान)। इस सम्बन्ध में पहले ही हिदायतें दी जा चुकी हैं।

चौधरी शिव राम वर्माः हिदायतों के बावजूद भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, 1 जून से 30 जून तक कोर्टस में बहुत दावे हुए हैं क्योंकि हरियाणा में इन दिनों बेहद म्यूटेशन हुई हैं जिसमें करोड़ों रूपया स्माल सेविंग और चन्दे के रूप में लिया गया और जो कुछ लिया गया उसकी रसीद नहीं दी गई। क्या मुख्य मंत्री साहब के नोटिस में यह बात है ?

Ch. Bansi Lal: This supplementary does not arise out of this question.

श्री उमेद सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई स्पैसिफिक केस नोटिस में लाएं। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब कोई स्पैसिफिक केस होता है तो कोई भी पब्लिक का आदमी सम्बधित (Concerned) आफिसर के सामने गवाही देने से डरता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या मुख्य मंत्री गुप्त इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार है ताकि सही पता चल सके और स्पैसिफिक केस नोटिस में लाए जाएं ?

चौधरी बंसी लालः अगर गुप्त इन्कवायरी करूंगा तो मैं उस आफिसर के खिालफ उस इन्कवायरी की रिपोर्ट की बिना पर सजा नहीं दे सकता।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon'ble Chief Minister if in view of the supplementaries arising out of this question the Government would consider the desirability of instituting a general enquiry against these allegation that amounts are collected by Revenue Agencies and Registration Authorities?

चौधरी बंसी लाल: सरकार सारी गवर्नमैंट मशीनरी के खिलाफ जनरल इन्क्वायरी करवाने का आदेश नहीं दे सकती।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि पहले कंटैस्टिड म्यूटेशन एस0डी0ओ0 करता था लेकिन अब साल डेढ़ साल से यह काम तहसीलदार को दे दिया गया है जिससे कुरप्शन बढ़ रही है। क्या सरकार एस0डी0ओ0 सिविल को यह काम देने का इरादा रखती है ?

चौधरी बंसी लाल: इसको ऐग्जामिन कर लेंगे, अगर ऐसी बात होगी तो करेंगे।

Training of Untrained Teachers

***120. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Haryana Government issued circular No. 9/1-69-VK(4) dated, 1st April, 1972 to the all D.E.Os for imparting training to untrained teachers in Training Course;

(b) whether it is also a fact that according to this circular the list of such teachers was required to be sent to the department upto 30th April, 1972; and

(c) whether it is correct that the District Education Officer, Thanesar, issued a circular in this behalf to the Heads of the Eudcational Institutions under No. 5.2/72/4605-65

dated 1st Mary, 1972; if so, the reasons for sending the circular late?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes. The circular was endorsed late due to some unavoidable difficulties experienced by Sub-Divisional Education Officer Thanesar.

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, पहले ही 10–15 हजार सरप्लस टीचर्ज पड़े हुए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। जब आगे के लिए बेकारी पैदा करने के लिए सरकार ने दाखले में छूट दे दी है और इससे लोगों में हेरास्मैंट फैल रही है। सरकार को चाहिए कि ट्रेंड टीचर्ज को लगाए।

चौधरी बंसी लाल: सारी स्टेट में 100 आदमी थे और इन सौ आदमियों को निकाल कर नौकरी से हटा देना कोई आसान बात नहीं है।

चौधरी दल सिंह: जिन व्यक्तियों ने पहले ट्रेनिंग हासिल कर रखी है और ट्रेंड है उनको पहले नौकरियों में लगाने का सरकार कोई इरादा रखती है ?

चौधरी बंसी लाल: जो व्यक्ति 10–15 साल से लगे हुए हैं उनको निकाल कर दूसरों को नहीं लगाया जा सकता।

चौधरी दल सिंहः जो व्यक्ति पहले ही ट्रेंड हैं और दो चार साल से बेरोजगार हैं उनको पहले लगाने का विचार सरकार रखती है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए सरकार ने अ ब क्लासिज लगाना शुरू कर दिया है इसलिए पहले उन लोगों को लगाना जरूरी है जो दो चार साल से बेरोजगार हैं और ट्रेनिंग कर रखी है।

चौधरी बंसी लालः जो व्यक्ति मैरिट पर आएगा उसी को सरकार लेगी।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि इस सरकुलर के देर से भेजे जाने के कारण जो टीचर वक्त पर नहीं पहुंच सके और दाखिल होने से रह गए हैं, क्या उनको दाखिल किया जाएगा ?

चौधरी बंसी लालः वे ट्रेनिंग शुरू होने के दिन भी जाकर ज्वायन कर सकते हैं।

Facilities for Schools

***36. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there are any schools in Faridabad Block which are without boundary walls;

(b) whether there are any school s in Faridabad Block where no arrangements of water and sanitation have been provided;

(c) whether there are any schools in Faridabad Block where there is shortage of rooms; and

(d) if the answer to part(a), (b) and (c) above be in the affirmative the action proposed to be taken by the Government in this behalf.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Statement I is laid on the table of the House.

(b) No.

(c) Statement II is laid on the table of the House.

(d) (a) Steps are being taken to provide regular boundary walls or hedges and barbed wire to all such schools.

(b) All out efforts are being made to make up the deficiencies with the help of the Gram Panchayats and the local Community.

STATEMENT I

		Higher Sec.	High	Middle	Primary	Total
1	No. of Schools in Faridabad Block	3	9	14	56	82
2	No. of Schools where there are boundary walls	3	2	6	7	18

3	No. of Schools where there are improvised boundary walls (hedges)		2		22	24
4	No. of Schools without boundary walls or hedges		5	8	27	40

STATEMENT II

Sr.	Name of School	Shortage of Rooms
1	Govt. Higher Sec. School, Faridabad Town	4
2	Govt. Higher Sec. School, Faridabad, NIT	30 (One Laboratory)
3	Govt. High School, Faridabad Town	10
4	Govt. High School, Sihi	4
5	Govt. High School, Kheri Kalan	13
6	Govt. High School, Faridabad Girl No. 5	10
7	Govt. High School, Tigaon	10

8	Govt. High School, Tigaon Girls	7
9	Govt. High School, Pali	6
10	Govt. High School, Tilpat	4
11	Govt. Middle School, Wazirpur	6
12	Govt. Middle School, Jasana	5
13	Govt. Middle School, Fatehpur Tanga	4
14	Govt. Middle School, Pawta	4
15	Govt. Middle School, Faridabad No. 1	12
16	Govt. Middle School, Faridabad No. 2	19
17	Govt. Middle School, Faridabad No. 3	This School has no. building of its own. This School starts in evening shift in Govt. Middle School (Girls) No. 3
18	Govt. Middle School, Faridabad 5	15
19	Govt. Middle School, Industrial Area	This School has no. building of its own and is run in Govt. Middle (Bal)

		School, Faridabad No. 1 in the second shift
20	Govt. Middle School, Girls No. 1 Faridabad	4
21	Govt. Middle School, Girls No. 2 Faridabad	19
22	Govt. Middle School, Girls No. 3 Faridabad	10
23	Govt. Middle School, Girls Industrial Area	This School has no. building of its own and is run in Govt. Middle School, Girls No. 1 in the second shift
24	Govt. Primary School, Bhupani	3
25	Govt. Primary School, Dadsia	1
26	Govt. Primary School, Rajpur Kalan	2
27	Govt. Primary School, Mahawatpur	1
28	Govt. Primary School, Nachauli	1
29	Govt. Primary School, Lalpur	1
30	Govt. Primary School, Alipur	1

31	Govt. Primary School, Muapur	1
32	Govt. Primary School, Abhipur	1
33	Govt. Primary School, Fatupura	2
34	Govt. Primary School, Tajupura	1
35	Govt. Primary School, Shahabad	1
36	Govt. Primary School, Bhainsraoli	1
37	Govt. Primary School, Badarpur	1
38	Govt. Primary School, Teegaon	12
39	Govt. Primary School, Bhudaina	1
40	Govt. Primary School, Baroli	2
41	Govt. Primary School, Mantola	1
42	Govt. Primary School, Faridpur	1
43	Govt. Primary School, Mrizapur	1
44	Govt. Primary School, Sadpura	1
45	Govt. Primary School, Neemka	1
46	Govt. Primary School, Palla	1
47	Govt. Primary School, Daulatabad	7
48	Govt. Primary School, Faridabad (Bal)	24

49	Govt. Primary School, Faridabad (Girls)	16
50	Govt. Primary School, Itmadpur	1
51	Govt. Primary School, Majaisar	5
52	Govt. Primary School, Saran	3
53	Govt. Primary School, Press Colony	20 (It has no building of its own and is run in a private building)
54	Govt. Primary School, Gonchi	2
55	Govt. Primary School, Naglagujran	1
56	Govt. Primary School, Nekpur	1
57	Govt. Primary School, Gothra Mohabattabad	1
58	Govt. Primary School, Pakhil	1
59	Govt. Primary School, Mangar	1
60	Govt. Primary School, Ajraunda	6
61	Govt. Primary School, Ankhi	1
62	Govt. Primary School, Mankri	3
63	Govt. Primary School, Barkhal	1

64	Govt. Primary School, Lakkarpur	1
65	Govt. Primary School, Mewla Maharajpur	1
66	Govt. Primary School, Nawdakhoo	1
67	Govt. Primary School, Dabwa	1
68	Govt. Primary School, Fatehpur Chandila	6
69	Govt. Primary School, Badshahpur	1
70	Govt. Primary School, Gajupari	1
71	Govt. Primary School, Basantpur	2
72	Govt. Primary School, Kherikhurd	2
73	Govt. Primary School, Faridabad, Sector No. 7	1
74	Govt. Primary School, Sarurpur	2
75	Govt. Primary School, Pavta (Girls)	2
76	Govt. Primary School, Mawai	2
77	Govt. Primary School, Agwanpur	1

श्री के0एन0 गुलाटी: स्पीकर साहब, जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि हालत सुधार देंगे, यह ठीक है। लेकिन इसी प्रकार का सवाल मैंने पहले पूछा था जो कि बसों के

बारे में था। उस सवाल के पार्ट (ए) तथा (सी) के बारे में गवर्नमैंट ने अश्योरैंस दी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अश्योरैंस को मद्देनजर रखते हुए बसों की हालत पहले से अच्छी है या बदतर हो गई है ? मेरे ख्याल के मुताबिक हालत बिगड़ी है। क्या यहां स्कूलों के बारे में भी बिगड़ेगी ? क्या हालत सुधारने की बजाए पोजीशन खराब हो गई है .... (व्यवधान)।

चौधरी बंसी लालः अगर बदतर हो गई है तो अगली बार आप सवाल न पूछना .... (हंसी)।

श्री के0एन0 गुलाटीः मैं पूछता हूं कि क्या इन स्कूलों की हालत सुधरेगी या बिगड़ेगी ?

श्री अध्यक्षः यह जो जवाब आया है इसमें पहले सुधार के लिए कहा गया है .... (शोर) जो अश्योरैंस दी गई है वह अश्योरैंस कमेटी में आएगी। इसके लिए अश्योरैंस कमेटी बनी हुई है और अगर अश्योरैंस पूरी न हो तो ऐक्शन लिया जाता है। आप दूसरे सदस्यों को सप्लीमैंटरी पूछने दें .... (व्यवधान)।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि जवाब में बताया गया है कि 5 हाई स्कूल, 8 मिडल स्कूल और 27 प्राइमरी स्कूल बाउंडरी वाल के बिना बने हुए हैं। एट दी टाईम आफ री–आर्गेनाईजेशन आफ स्टेट्स जब गवर्नमैंट ने इन स्कूलों को टेक–ओवर किया था और जब गवर्नमैंट ने इन स्कूलों को बनाया

था, क्या उस वक्त बाउंडरी वाल बनाने का मामला कंसीडर नहीं किया गया था ?

चौधरी बंसी लालः जिस वक्त स्कूल अप–ग्रेड करते हैं या करवाए जाते हैं उस वक्त कह देते हैं कि बाउंडरी वाल बनाओ। उस वक्त कुछ एम0एल0ए0, एम0पी0 और तकरीबन 50 आदमी साथ आते हैं और कहते हैं कि बाउंडरी वाल साल दो साल में बना देंगे क्योंकि गांव की हालत अच्छी नहीं हैं। इन लोगों के कहने पर उनकी बात मान ली जाती है और स्कूल अप–ग्रेड कर दिया जाता है। वैसे भी बाउंडरी वाल के बिना लड़के भाग तो नहीं जाते और जैसे जैसे गांव वालों के पास फाईनैंसिज होते जाएंगे वैसे बाउंडरी वाल्ज बनाते जाएंगे।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या बाउंडरी वाल सरकार नहीं बनाती ?

चौधरी बंसी लालः जिन स्कूलों को सरकार ने लिया हुआ है वहां वाल्ज पी0डब्ल्यू0डी0 बनाता है और यहां पर हमारी जिम्मेवारी है लेकिन जो स्कूल पंचायतों के हैं वहां हमारी जिम्मेवारी नहीं है।

श्री अमर सिंहः क्या मुख्य मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि इन सब स्कूलों की बिल्डिंग्ज गवर्नमैंट द्वारा कंस्ट्रक्ट की हुई हैं जहां पर बाउंडरी वाल्ज नहीं है ?

चौधरी बंसी लालः मोस्ट आफ दी बिल्डिंग्ज पंचायतों के पास ही होती हैं।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि इन सब स्कूलों में पानी और सैनिटेशन की सुविधाएं सैटिस्फैक्टरी है ?

Ch. Bansi Lal: I have recieved no complaints.

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री साहब ने बताया कि गांवों में स्कूल की बिल्डिंग की जिम्मेवारी पंचायतों की है। मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसी सिचयूएशन किसी टाउन में भी है जहां बिल्डिंग म्युनिसिपल कमेटी की हो ?

Ch. Bansi Lal: Yes, there are such cases.

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या यह सही है कि पंचायतें और पंचायत समितियां हाई स्कूलों और मिडल स्कूलों पर खर्च नहीं करती लेकिन प्राईमरी स्कूलों पर खर्च कर सकती है ? अगर पंचायत या पंचायत समिति के पास फण्ड्ज हों तो क्या वे हाई स्कूलों और मिडल स्कूलों पर खर्च कर सकती हैं ?

Ch. Bansi Lal: The Government will examine it. They have many other commitments also and if they have any spare money out of those commitments, the Government wil consider it.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Hon. Chief Minister as to why there is this discrimination in

certain buildings owned by panchayats; while some buildings have been taken over by the Government, the others have not been taken over? When the schools have been provincialised and taken over by the Government why the buildings of all such schools have not been taken over by the Government?

Ch. Bansi Lal: Unless the buildings and handed over by the Panchayats by resolution, the Government cannot take them. And, in some cases the schools buildings are constructed by private individuals. The Land is in their name; the building is also in their name. We cannot take them.

Ch. Hardwari Lal: Is the Chief Minister aware that practically at all the District Headquarters large funds are lying with the District Education Officers under the head "Consolidated Building Fund" and will he be prepared to issue instruction to the district Education authorities to make liberal funds available for the construction of boundary walls etc. etc.?

Ch. Bansi Lal: We have already issued such instructions that for the repairs of the buildings that money should be liberally used.

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलज की सभी बिल्डिंग्ज टेक ओवर हो गई है या नहीं ?

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो अब रहे नहीं लेकिन जिला परिषदों ने जहां लिख कर दिया और

सरकार ने उसका सुझाव मान लिया वहां बिल्डिंग्ज ले ली गई है। बहुत सी जगह बिल्डिंग्ज जिला परिषदों की हैं।

Supervisors and Workers of the Public Relations Department

***109. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state the district-wise number of the Publicity Supervisors and Workers working in the Public Relations Department together with their names and academic qualifications?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): There are no posts of Publicity Supervisors in the Public Relations Department.

2. There are 82 posts of Block Publicity Workers in the State. 66 Publicity Workers are in position at present. A District-wise list of the Block Publicity Workers is placed on the Table of the House. As no specific qualification have been prescribed for these posts, qualifications of each worker have not been given in the list placed below.

List showing the present position of the Block Publicity Workers

Name of Districts	Sr.	Name of the Block	Name of the Block Publicity Workers
Hissar	1	Fatehabad	Sh. Udmi Ram
	2	Bahuna	Sh. Girdhari Lal

	3	Tosham	Sh. Subhi Ram
	4	Ratia	Sh. Bihari Lal
	5	Narnaud	Sh. Sher Singh
	6	Hansi-I	Sh. Phool Singh
	7	Loharu	Sh. Lilu Ram Chopra
	8	Barwala	Sh. Risal Singh
	9	Hansi-II	Sh. Ram Kumar
	10	Hissar-II	Sh. Dalip Singh
Rohtak	1	Beri	Sh. Chhottu Ram
	2	Bahadrugarh	Sh. Chander Bhan
	3	Nahar	Sh. Tara Chand
	4	Meham	Sh. Subha Chand
	5	Salhawas	Sh. Gulshan Kumar
	6	Kathura	Sh. Ram Kishan
	7	Kharkhoda	Sh. Jhanda Singh
	8	Ganaur	Sh. Chiranji Lal
	9	Rai	Sh. Inderpal Singh
	10	Sonepat	Sh. Daryao Singh
	11	Rohtak	Sh. Chet Ram

	12	Gohana	Sh. Mange Ram
Gurgaon	1	Punhana	Sh. Habib Khan
	2	Faridabad	Sh. Jainder Singh
	3	Ballabhgarh	Sh. Bale Ram
	4	Rewari	Sh. Sushil Kumar
	5	Khol	Sh. Ram Chander
	6	Nuh	Sh. Abdul Majid
	7	Palwal	Sh. Sham Lal
	8	Bawal	Sh. Hari Singh
	9	Pataudi	Sh. Mohinder Singh
	10	Hodel	Sh. Kishan Chand
	11	Hathin	Sh. Baljit Singh
	12	Sohna	Sh. Ghav Khan
	13	Gurgaon	Sh. Duli Chand
Karnal	1	Assandh	Sh. Harphool Singh
	2	Pundri	Sh. Rakshpal
	3	Karnal	Sh. Randhir Singh
	4	Madlauda	Sh. Munshi Ram
	5	Nilokheri	Sh. Jai Narain

	6	Panipat	Sh. Ran Singh
	7	Ladwa	Sh. Kukam Chand
	8	Shahabad	Sh. Jagdish Chand
	9	Rajond	Sh. Hari Singh
	10	Thanesar	Sh. Sohan Lal
Ambala	1	Ambala	Sh. Tarsem Lal Jain
	2	Manimajra	Sh. Parkash Chand
	3	Bilaspur	Sh. Muni Lal Sharma
	4	Chhachhrauli	Sh. Raghbir Singh
	5	Raipur Rani	Sh. Sadhu Ram
	6	Jagadhri	Sh. Sampuran Singh
	7	Barara	Sh. Brij Bhushan
	8	Naraingarh	Sh. Girdhara Singh
Jind	1	Kalyat	Sh. Shankar Lal
	2	Safidon	Sh. Ami Lal
	3	Uchana	Sh. Jati Ram
	4	Jind	Sh. Manohar Dass
	5	Narwana	Sh. Ronak Ram
Mahenderagarh	1	Kanina	Sh. Udmi Ram

(Narnaul)			
	2	Nangal Chowdhri	Sh. Jag Ram
	3	Badra	Sh. Dharam Singh
	4	Dadri	Sh. Sudhan Singh
	5	Ateli Nangal	Sh. Chiman Lal
	6	Bond	Sh. Pehlad Singh
	7	Narnaul	Sh. Jawahar Lal
	8	Mahendergarh	Sh. Banwari Lal

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, वजीर साहब ने फरमाया कि पब्लिसिटी वर्कर के लिए कोई खास काबलियत प्रैसक्राइब नहीं की गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने यह जो 66 पब्लिसिटी वर्कर्ज लगाए हैं इनको कैसे लगाया है ?

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, इलाके में जो आदमी काम करने वाला है, हिन्दी पढ़ सकता है, हिन्दी लिख सकता है और हमारे प्रोग्राम्ज, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और दूसरे प्रोजैक्टस आदि की मास कम्युनिकेशन कर सके, उसे पब्लिसिटी वर्कर लगाया जाता है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी अपने जवाब में कहा कि जो आदमी लिख सके और पढ़ सके उसे पब्लिसिटी वर्कर लगाया जाता है लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उचाना का पब्लिसिटी वर्कर श्री जाति राम कोई हर्फ पढ़ना लिखना जानता है ?

श्री के0एल0 पोसवालः लोकली इन्होंने लगवाया होगा इसलिए स्पीकर साहब ये ही इस बात को जान सकते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): चौधरी साहब, अब के इलैक्शन में खिलाफ रहा होगा।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Hon. Home Minister as to why these posts of Village Publicity Workers are sometimes abolished; sometimes created and why these appointments are made time and again; why not give them a permanent character?

श्री के0एल0 पोसवालः सर, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर हमारे पास पर्मानैन्ट पोस्टस हैं लेकिन ये पोस्टस ऐसी हैं जिनकी ब्लॉक लैवल पर हमें गाहे—वगाहे जरूरत पड़ती है। इनको हमें कंटिनजैन्सी फंडज से पे करना पड़ता है।

श्री अमर सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि ये 66 पब्लिसिटी वर्कर्ज उन्हीं वर्कर्ज में से हैं जिन्हें सन् 68 में लगाने के बाद 71 में हटा दिया गया था और 72 में फिर दुबारा लगाया गया है या और बाद में सिफारिश से लगाए गए है ?

श्री के0एल0 पोसवालः इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन हो सकता हैं उनमें से कुछ हों और कुछ नए भी रखें गये हों क्योंकि सारे तो हटाए भी नहीं थे।

चौधरी शिव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी यहां कहा गया है कि पब्लिसिटी वर्कर्ज की अप्वायंटमैंट के लिए इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है। यह बड़ी हैरानी की बात है। कितनी ही छोटी पोस्ट क्यों न हो उसके लिए अप्वायंटमैंट या रिक्रूटमैंट करने के कुछ तरीके होते हैं। तो मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इनको रखने के क्या तरीके हैं और किस तरह से इनको छांटा जाता है ?

श्री अध्यक्षः वह तो इन्होंने अभी ऐक्सप्लेन किया है।

चौधरी शिव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कौन इनको लगाने वाला है, कैसे इनको लगाते हैं और कैसी ऐप्लीकेशन्ज होती है ?

श्री के0एल0 पोसवालः इन्हें डी0पी0आर0 लगाता है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, अगर ये पब्लिसिटी वर्कर्ज बड़ी अहम सर्विस अदा करते हैं तो क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या इनको सबार्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड के थरू अप्वायंट करेंगे ?

चौधरी बंसी लालः सरकार का इस समय ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। They were taken out of the purview of the Public Service Commission/Subordinate Service Selection Board in 1965, in the composite Punjab and not by the present Government. Thes people are appointed on performance basis and they are kept in service keeping in view their performance in the area; their knowledge of the respective areas and their problems. These things are kept in view while appointing them. There appointment is practically on performance basis.

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि पब्लिक रिलेशन्ज में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इसीलिए यह महकमा होम मिनिस्टर साहब को दे दिया है। (हंसी)

चौधरी बंसी लालः यह तो बाकायदा कालेज में पढ़े हैं, मैं तो वाया भटिंडा ग्रेजुएट हूं। (हंसी)

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, मेरी काबलियत की ओर भी गवाही यह है कि निहाल सिह जी मेरे कलासफैलो थे। (हंसी)

श्री अध्यक्षः आपकी काबलियत के बारे में इनको संदेह नहीं है।

चौधरी दल सिंहः इन पब्लिसिटी वर्कर्ज को माहवार तनख्वाह क्या मिलती है ?

श्री के0एल0 पोसवालः 150 रूपए महीना।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में अभी फरमाया कि इनको अप्वायंट करने का यह तरीका सन् 1965 में शुरू हुआ था और इसको बदलने को इनका अभी कोई विचार नहीं है। स्पीकर साहब, ग्राम पंचायत के सैक्रेटरीज भी इसी तरह से अप्वायंट होते थे जिस तरह से पब्लिसिटी वर्कर्ज अप्वायंट हुआ करते थे लेकिन बाद में अब ग्राम पंचायत के सैक्रेटरीज की रिक्रूर्टमैंट सुबार्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड के द्वारा होती है। क्या यही तरीका सरकार पब्लिसिटी वर्कर्ज की अप्वायंटमैंट के लिए अख्तियार करेगी ?

Ch. Bansi Lal: There is a lot of difference between the duties of a Secretary to the Gram Panchayat and the Publicity worker. The Secretary of the Gram Panchayat has to maintain the record of the Panchayat. He is also to keep and maintain the accounts of the Panchayat. Then he is to write certain decision taken by the Gram Panchayat which is more or less a court and an executive authority of the village. There is a difference between the duties of the Secretary, Gram Panchayat and the Publicity Worker.

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये जो पब्लिसिटी वर्कर्ज रिक्रूट किए जाते हैं इनके लिए कोई ट्रेनिंग का सैंटर भी है या ये पहले ही ट्रेन्ड होते हैं ?

Ch. Bansi Lal: They are well trained before they are appointed.

चौधरी दल सिंहः क्या कोई म्यूनिसिपल कमिशनर भी पब्लिसिटी वर्कर लगाया गया है या लगाया जा सकता है ?

श्री के0एल0 पोसवालः पाबन्दी तो है नहीं लेकिन ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में आई नहीं है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, क्या इनके नोटिस में है कि उचाना के श्री रसाल सिंह को जो एक हरिजन है बरवाला में इसलिए लगायसा क्योंकि वह उधर से वोट कैच करता है ?

Sh. K.L. Poswal: That means that his performance is very good.

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, वजीर साहब ने फरमाया कि सोशल वर्कर होना एक तरह से क्वालिफिकेशन समझी जाती है। तो क्या प्रत्येक कांग्रेस वर्कर को सोशल वर्कर समझा जाता है ?

चौधरी बंसी लालः हम तो सैकुलर हैं। जो आदमी ठीक परफारमैंस देगा उसको रखा जाएगा। हम जनसंध वालों की तरह कि जो सुबह साढ़े चार बजे शाखा अटैंड करे कार्ड होल्डर नहीं रखते हैं। That is not the qualification.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, यह जो चीज इन्होंने बनाई है यह इसलिए बनाई है कि इन्हें ये इलैक्शन के दौरान इस्तेमाल करें।

चौधरी बंसी लालः चीज तो, स्पीकर साहब, हमने कोई बना कर नहीं रखी है। चीज तो चौधरी दल सिंह जी के यहां जींद में मिल्क फैक्टरी में बन रही है।

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, मैं अपोजीशन के भाईयों और चौधरी दल सिंह, जिन्होंने यह सवाल पूछा है, की तसल्ली के लिए यह कहना चाहता हूं कि ये अच्छे वर्कर्ज का हमें नाम बताएं, हम उनको भी कंसिडर करेंगे।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर पब्लिसिटी वर्कर्ज एस0एस0एस0 बोर्ड के थरू नहीं रखे जाते हैं तो इनको बाहर से रखते वक्त रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाता है ?

श्री के0एल0 पोसवालः जी, हां।

श्री अमर सिहः क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर इन पब्लिसिटी वर्कर्ज को बोर्ड के थरू नहीं रखते हो तो इनके लिए कोई नियम बनाने के लिए तैयार हैं ?

श्री के0एल0 पोसवालः जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये परफारमैन्स के बेसिज पर लिए जाते हैं। इसमें बोर्ड की जरूरत नहीं है।

चौधरी पीर चन्दः क्या इनको पर्मानैंट करने की कोई स्कीम है या इलैक्शन आने पर निकाल दिए जाएंगे ?

चौधरी बंसी लालः इलैक्शन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ये तो परफारमैन्स के बेसिज पर रखे जाते हैं।

श्री अमर सिंहः परफारमैन्स का क्या क्राइटेरिया है ? क्या उनके नोटिस में है कि एक पब्लिसिटी वर्कर को दो साल के बाद नोटिस देकर निकाल दिया और जब उसने हाईकोर्ट में रिट की तो फिर वापिस रख लिया ?

चौधरी बंसी लालः अगर कोई अदालत की बात है तो उसके लिए सैपरेट नोटिस दें।

चौधरी शिव राम वर्माः वह परफारमैन्स का पैमाना क्या है। जिससे पता चल सके कि किसी की क्या परफारमैन्स है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अध्यक्ष का निरूपण

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, मैं पसर्नल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मैं आप की ही बात पर आ रहा हूं।

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, क्वैश्चन आवर खत्म हो गया। मैं केवल दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं .... शोर .... आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को यह बात गलत बताई गई है कि होस्पिटल के हाल में मुजाहरा किया। जो सही बात थी वह नहीं बताई गयी। .... विघ्न ....

श्री अध्यक्षः गुलाटी साहब, मेरी इजाजत आप चाहते थे, इजाजत आपको मिली नहीं, भाषण आपने शुरू कर दिया (विघ्न) आप मेरी इजाजत से बोलेंगे न। (विघ्न)

श्री के0एल0 पोसवालः मैं इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः बैठिए आप। जीरो आवर के बाद जब आज के दिन की कार्यवाही हाथ में ली जाए, उस समय आप बोलना। वैसे एक ध्यानाकर्षण सूचना हमने स्वीकार की है श्री के0एन0 गुलाटी साहब की। इससे पूर्व कि मैं उनको पढ़ने के लिए कहूं, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननी सदस्यगण इस बात की पूरी तरह स्टडी करें कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सब्जैक्ट मैटर क्या हो सकता है ? क्या उसका विषय हो सकता है ? वह रूल्ज के मुताबिक होना चाहिए। खास तौर से गुलाटी साहब ने इस अधिवेशन के लिए काफी संख्या में ध्यानाकर्षण सूचनाएं मेरे पास भेजीं। कोई भी माननीय सदस्य यदि कोई सूचना भेजनता है, दफ्तर को उस पर कार्यवाही करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है और अन्त में नतीजा यह निकलता है कि ध्यानाकर्षण जो सूचना

है इसका विषय बनता नहीं तो रिजैक्ट करनी पड़ती है। अब कई सूचनाएं इस प्रकार की गुलाटी साहब ने मांगी हैं। ध्यानाकर्षण सूचना की कि एक गांव की हालत खराब है या स्कूल की बिल्डिंग खराब है या फलां जगह, एक जगह पानी नहीं पहुंचा, इस तरह की बातें प्रश्न से भी पूछी जा सकती हैं, क्वैश्चन किया जा सकता है कि ध्यानाकर्षण सूचना का जो विषय होना चाहिए उसके मुताबिक उसको स्टडी करके यदि मैम्बर साहिबान भेजें तो अच्छा है। तो एक मैंने इनकी ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत की है वह गुलाटी साहब पढ़ कर बतलाएंगे।

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, अप मुझे पहले पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन की इजाजत दें।

श्री अध्यक्षः मैंने जो बात पहले आपको कही है वह करें। बाद में उसके लिए भी अपको समय मिलेगा।

ध्यानाकर्षण सूचना

Sh. K.N. Gulati: Sir, I want to draw the attention of the House to a very urgent matter of great public importance.

That Faridabad Complex Administration has refused to give basic civil amenities such as sanitation, water and roads to the residents of Punjabi Colony, Jawahar Colony and Railway Colony, Raja Garden etc., while the Administration is charging all taxes from the residents of the said colonies and these colonies are the part of Faridabad Complex area.

Immediate action be taken in this repect and the resident be given all such civil amenities.

Deputy Minister Health (Smt. Sharda Rani): Punjabi Colony, Jawahar Colony, Railway Colony and Raja Garden Colony as mentioned by the Hon. Member are unauthoriese Colonies and although certain amenities have been provided it has not been possible to provide all basic or civi amenities. The residents of these Colonies except those of Raja Garden Colony, are not paying any local taxes except octroi duty which is leviable on any article imported in the Complex area. However, the Faridabad Complex Administration is seized of the problem and an attempt will be made to find out a practical solution as early as possibel.

सचिव द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्षः सचिव, विधान सभा कुछ घोषणा करेंगे।

चौधरी चांद रामः मेरी भी एक काल–अटैन्शन मोशन थी, उसका क्या कुछ हुआ।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब उसकी आपको सूचना मिल जाएगी।

सचिवः महोदय, मैं संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1972 के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा से प्राप्त हुए निम्नलिखित दस्तावेजों की एक–एक प्रति, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

1. सचिव, राज्य सभा से प्राप्त हुआ पत्र दिनांकित 15 जून, 1972

2. लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में संविधान (इक्कतीसवां संशोधन विधेयक, 1972 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में)।

3. लोक सभा द्वारा पारित रूप में संविधान (इक्कतीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में)।

4. संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1972 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में)।

5. संविधान (इक्कतीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 पर लोक सभा डिबेट।

6. संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1972 पर राज्य सभा डिबेट।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्षः गुलाटी साहब, आप अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं परन्तु आपको इस बात को पूरा ध्यान रखना होगा कि आप किसी दूसरे के विरूद्ध कोई आरोप न लगाएं। आप एक मिनट के लिए अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री के0एन0 गुलाटीः अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये हाउस में यह अर्ज करना चाहता हूं कि 23–6–72 को हास्पिटल का स्टोर चैक किया गया। डाक्टर के सामने और कुछ सोशल वर्कर्ज के सामने स्टोर को चैक किया। स्टोर में तीन क्विंटल आटा कम निकला, साबुन और तेल भी कम निकला। इसकी रिपोर्ट गवर्नमैंट को भेजी गयी परन्तु कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। वहां एक ओवर–एज मैडिकल एुप्रिंटैन्डैन्ट बैठा रखा है। मरीजों की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। 22 साल का सिख नौजवान अन–अटैन्डिड मर गया है। जहां तक हास्पिटल में घुसने का सम्बन्ध है उसके विषय में अर्ज करना चाहता हूं कि उस दिन बारिश हो रही थी। हमने गेट के बाहर जो सैल्टर है उसमें मुजाहिरा किया। बड़े डिस्पिलन के अन्दर मुजाहिरा किया। अलग–अलग पार्टी के लोग थे जिनकी मैं नुमाइन्दगी करता हूं। हास्पिटल में कोई दखल–अन्दाजी नहीं की गयी। मुख्यमंत्री जी के पास सही चीज नहीं पहुंचायी गयी है।

आनरेबल अध्यक्ष महोदय मेरी 24 काल अटैन्शन मोशंज रिजैक्ट हुई है।

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए।

श्री के.एन. गुलाटीः स्पीकर साहब, मेरे कुछ जजबात हैं जिसका मैं इजहार करना चाहता हूं। मैं डेमोक्रेसी का खून नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्षः मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप बैठ जाइये (शोर) डैमोक्रेसी पूर्णतः सुरक्षित है। आपको बोलते हुए दो मिनट हो गये हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री के.एन. गुलाटीः मुझे जनता ने इलैक्ट करके भेजा है। मैं एक लाख लोगों का रिप्रैन्जैटेटिव हूं (शोर)

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): डेमोक्रेसी में यही कमजोरी है कि आप यहां आ गये हैं।

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

3.00 P.M.

श्री अध्यक्षः समिति की बैठक सोमवार, 14 अगस्त, 1972 को मध्याहन पश्चात 3 बजकर 45 मिनट पर अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई और कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि 16 अगस्त, 1972 को निम्नलिखित कार्य किया जायेः–

1. प्रश्न समय

2. मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र

3. संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में संविधान (अटठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1972 के अनुसमर्थन सम्बन्धी सरकारी संकल्प।

4. विधान कार्यः–

(1) पटियाला नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1972.

(2) पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1972

(3) हरियाणा लोक स्थान तथा भूमि (बेदखली तथा किराए की वसूली) विधेयक, 1972.

अब एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move –

That this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः–

कि यह सदन कार्य–मन्त्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दी गई सिफारिश स्वीकर करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः–

कि यह सदन कार्य–मन्त्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दी गई सिफारिश स्वीकर करता है।

मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

Deputy Minister Health (Smt. Sharda Rani): Sir, I beg to lay on the Table the Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ended 21st March, 1972, as required under Section 38(3) of the State Financial Corporation Act, 1951.

Sir, I also beg to lay on the Table the Audit Report on the Haryana Financial Corporation Chandigarh for the year ended 31st March, 1960, as required under Section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1967-68, as required under Section 31(11) of Warehousing Corporation Act, 1962.

Sir, I also beg to lay on the Table the Annual Report of the Hayrana Warehousing Corporation for the year 1968-69, as required under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to lay on the Table the Annual Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71, as required under Section 75 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

सरकारी संकल्प

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move –

That this House ratifies the amendments to the Constitutions of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the constitution (Twenty-Eighth Amendment) Bill, 1972, as passed by two Houses of Parliament.

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House ratifies the amendments to the Constitutions of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the constitution (Twenty-Eighth Amendment) Bill, 1972, as passed by two Houses of Parliament.

चौ. दल सिंह (जींद): स्पीकर सहाब, मुख्यमंत्री जी की तरफ से संविधान के 28वें संशोधन विधेयक के सिलसिले में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 314 को समाप्त किया गया है जिसका मतलब यह है कि आजादी के पहले ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार में या रियासतों में जिन सिविल आफिसर्ज को विशेष अधिकार दिये गये थे, उनके अधिकरों को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह एक नया अनुच्छेद 312 जोड़ा गया है जिसके जरिये पार्लियामैंट को यह अख्तियार दिया गया है कि वह इस

विधेयक को जिस दिन से भी लागू करना चाहे, लागू कर सकती है।

स्पीकर साहब, वैसे तो यह एक बड़ी अजीब सी बात है लेकिन कोई भी हिन्दुस्तान का व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं कह सकता। मैं यह समझता हूं कि हर आदमी इसका समर्थन करेगा। अजीब सी बात यह है कि जिस वक्त देश आजाद हुआ और देश का बटवारा हुआ, हिन्दुस्तार में 451 आई.सी.एस. अफसर रहे। ठीक 25 साल के बाद सरकार को यह बात सूझती है कि इस विधेयक के जरिये उनका जो खास हकूक या खास रियायतें दी गई थीं, खत्म कर दी जायें। आजादी के बाद हिन्दुस्तान में 451 आई.सी.एस. अफसर रहे और अब जब सिर्फ 97 रह गये हैं और आजाद हुए 25 साल हो गये हैं तो सरकार को यह बात सूझती है कि ये रियायतें खत्म कर देनी चाहियें। यह एक अजीब सी बात दिखाई देती है लेकिन फिर भी अगर सरकार को देर से सूझ आ जाये तो भी बड़ी अच्छी बात है।

आज देश के सामने एक बहुत बड़ा मसला बेरोजगारी यानि अन–एम्पलायमैंट का है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां से इस संशोधन को रैटीुाई करें वहां इसके साथ ही भारत सरकार को हमारी सदन की तरफ से एक सिफारिश और कर दें कि बेरोजगारी का जो मसला है इसको संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया जाये ताकि लोगौं को रोजगार की सुविधा हो सके। इसके साथ ही मैं यह भी

अर्ज करना चाहता हूं कि आज महंगाई बढ़ी है। हर तरफ बेरोजगारी है। केवल हमारी सरकारी ही नहीं केन्द्रीय सरकार भी यह कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे। लेकिन आप यह बात सुनकर हैरान होंगे कि जूनियर आई.सी.एस. आफिसरों की तनख्वाह 450–1350 रूपया माहवार, इसके बाद सीनियर आई.सी.एस. अधिकारों की तनख्वाह 1000–2250 रूपये माहवार और इसके बाद सुपीरियर आई.सी.एस. आफिसरों की तनख्वाह चार हजार रूपये माहवार है। इसी प्रकार से हमारे आई.ए.एस. अफसर हैं। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि किसी अफसर को तनख्वाह ज्यादा क्यों मिलती है या उसे तनख्वाह कम मिलनी चाहिए। लेकिन जो बात मैंने यहां बताई है, यह लाजमी तौर पर ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद होगा। आप कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में शामिल होते रहे और यह प्रण करते रहे कि आबादी के बाद 500 रूपये से ज्याद तनख्वाह हम किसी को भी नहीं लेने देंगे। लेकिन आज आप देखते हैं कि यह वही पार्टी है जो हिन्दुस्तान में गरीबी हटाने का दावा करती है और आज इसके राज में चार हजार रूपया लेने वाले लोग हैं। एक तरफ तो आप कहे हैं कि गरीबी हटाएंगे और दूसरी तरफ आप देखें अफसरों की तीन कैटेगरीज बनी हुई हैं, जुनियर, सीनियर और सुपीरियर। इसी तरह से आई.ए.एस. जूनियर को 400 रूपये से 1000 रूपये माहवार, सीनियर को 900 रूपये से 1800 रूपये माहवार और सुपीरियर आई.ए.एस. अफसरों को 3500 रूपये माहवार। आप अंदाजा लगाइये जब देश के अन्दर इतनी गरीबी फैली हो, तो तनख्वााहों

के अन्दर कितना अन्तर है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप ज्यादा तनख्वाहें देना चाहें तो दे सकते हैं लेकिन यह बात आपको शोभायमान नहीं है। एक तरफ तो स्वीपर हैं जिनका खुदा के बाद दूसरा दर्जा है, जो अफसरों की सर्विस करते हैं, उनके यहां सफाई करते हैं, उनके घर को साफ करते हैं और उनकी सेहत बनाते हैं उनकी और चपड़ासी की जो उनके बर्तन साफ करता है, तनख्वाह तो सवा सौ या डेढ़ सौ रूपये है मगर वह आदमी जो हर वक्त इन्तजार करता रहता है कि मेरा एम.एल.ए. कब कहेगा कि मैं पंचायत समिति का चुनाव कराऊं या मुकदमा कराऊं उस अफसर को अगर आप साढ़े तीन हजार रूपया माहवार देते हैं, तो मैं कहता हूं कि सरकार के लिये यह बायसे—शर्म है।

मेरी गुजारिश यह है कि आज आप एक अफसर को तो इतनी ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं और एक गरीब जो छोटी सर्विस में है उसको 125 रूपये तनख्वाह देते हैं। वह गरीब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, वह बस में सफर नहीं कर सकता, वह सोचता है कि कौनसी गन्दी सब्जी खरीदी जाये जो कम पैसे में आ जाए। वह अपने बच्चों का अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, उनको अच्छी दवा नहीं दिला सकता। ऐसी हालत में मेरी गुजारिश है कि आज जो गरीबी हटाने का दावा करते हैं जो गरीबी हटाने के ठेकेदार है वे छोटे लोगों की भी तनख्वाह बढ़ाएं। आज तनख्वाहों में कितना फर्क है एक आदमी को 150.00 रूपये मिलते हैं और दूसरे को साढ़े तीन हजार रूपये मिलते हैं। उसको इतनी

बड़ी तनख्वाह भी मिलती है, कार भी मुफ्त, दवा मुफ्त, उसके बच्चे कार में बैठकर स्कूल जाते हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौं. सरूप सिंह पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, इस किस्म के सुझाव भारत सरकार को देने चाहिएं जिससे कि जो यह इतना बड़ा फर्क है वह दूर हो सके और भारत के अन्दर सही मायने में समाजवाद आए। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौ. हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़): चेयरमैन साहब, बेरोजगारी तो बहुत बुरी बात है और गरीबी भी बुरी बात है और तनख्वाहों में जो नाहमवारयत है वह भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन चीजों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो सिर्फ एक तरमीम है जो कि हमारे विधान में की जा रही है और उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो मुरावात, खास प्रिविलेज 1947 में आजादी के टाईम पर इन आई.सी.एस. अफसरों की थीं और जिनके बारे में विधान के अन्दर भी जिक्र किया गया है, विधान के अन्दर जो गारन्टी दी गई थी, वह खत्म हो। 1947 के कुछ खास हालात थे। उस वक्त एक शर्त यह रखी गई थी कि जो सैक्रेटरी आफ स्टेट की सर्विसिज हैं उनकी कंडीशन वही रहेंगी उस वक्त कन्टरी के दो हिस्से हुए, पाकिस्तान अगल हुआ, रिहैबलीटेशन का मसला था और भी बहुत सी मुश्किलातें थीं। नया सारा का काम था। उस वक्त भी कुछ एतराजात उठे कि उनको इस तरह की गारन्टी नहीं देनी चाहिए लेकिन सरदार पटेल,

जो उस टाईम होम मिनिस्टर थे, ने कहा कि इस वक्त हालात गैर–मामूल हैं कुछ अर्से के बाद 10–20 साल में जब हालात मामूल पर होंगे तो यह सभी मुरावात वापिस ले ली जाएंगी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह पहले ही करना चाहिए था। यह दस साल के बाद भी तो हो सकता था लेकिन देर आयद दुरूस्त आयद वाली कहावत ठभ्क है अगर अब भी यह मुरावात खत्म हो रही है। इसलिए इससे इस देश में किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। वैसे तो और भी बहुत सी खराबियां हैं लेकिन इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

चौ. चांद राम (बबैन अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, इसमें दो राय नहीं हैं कि इस रैटिफिकेशन का सभी समर्थन कर रहे हैं। इस बारे में पार्लियामैंट ने जो बिल पास किया था उसका मतलब यह था कि आई.सी.एस. अफसरों के जो खास प्रिविलेजिज थे, उनकी जो सर्विस कंडीशन्ज थीं उनमें तबदीली लाई जाए। पार्लियामैंट ने यह अख्तियार लिया है कि वह कांस्टिच्यूशन की इस धारा में तबदीली कर सकती है।

हमारे मौजूदा राष्ट्रपति के चुनाव के बाद मैं समझता हूं कि प्रगतिशील कदम की ओर यह तीसरी या चौथी कड़ी है। इस देश मैं महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त हुए, गोलकनाथ के केस को जो फैसला हुआ और जिससे देश में तहलका मच गया उसके बारे में संविधान में संशोधन किया। पिछले दिनों एक और

संशोधन हमारे संविधान में हुआ और वह था सम्पति के अधिकार के बारे में। उसके बारे में हमारी पार्लियामैंट ने यह फैसला किया कि पब्लिक इन्ट्रैस्ट में अगर किसी की प्रायर्टी को लिया जाता है तो उसको मार्किट वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं। पार्लियामैंट उस पर पाबन्दी लगा सकती है। यह तीसरी कड़ी थी। हमारे यहां बैंकों का भी नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो कड़ी है उससे बहुत फर्क पड़पे वाला नहीं है। जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि पार्टीशन से पहले 1084 आई.सी.एस. अफसर थे। आजादी के बाद या कहिए पार्टीशन के बाद इस मुल्क में 451 आई.सी.एस. अफसर रहे और अप्रैल 1970 में 106 आई.सी.एस. अफसर थे तथा 1972 में 56 आई.सी.एस. अफसर थे और पांच साल के बाद कोई भी आई.सी.एस. अफसर सर्विस में नहीं रहेगा। तो इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन जो इससे पीछे भावना है वह है कि जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं वे अब नहीं रहेंगे। जो असमानता है वह बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती चाहे वह तनख्वाहों में हो या आमदनी में हो। समाजवादी मुल्कों में डयूटीज पर जोर दिया जाता है लेकिन जो पूंजीवादी देश हैं वहां प्रिविलेज पर जोर दिया जाता है, वहां यह देखा जाता है कि हमारे राईटस क्या हैं। अगर हमारी पार्लियामैंट संविधान के फंडा–मैन्टल राइटस में, राइट टू वर्क, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, में संशोधन कर दें तो इस देश के लाखों नौजवान जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनकी समस्या हल हो जाए। आज इस देश में 75 हजार से ज्यादा इंजीनियर बेकार हैं।

इस देश में डाक्टर बेकार हैं। इस चीज को देखते हुए फंडामैन्टर राइटस में यह बात लानी पड़ेगी कि जो इस देश में पैदा हुआ है उसको काम का या रोजगार का अधिकार है। आज हालत यह है कि अगर झाडू देने वाले की भी पोस्ट है तो उसके लिये भी सैंकड़ों ऐप्लीकेशंज आ जाती हैं। 25 साल के बाद भी लाखों करोंड़ों नौजवान बेकार फिर रहे हैं। हम यह 28वां संशोधन कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर संविधान की धारा में रोजगार का अधिकार सम्बन्धी संशोधन कर दिया जाए तो और किसी भी धारा में संशोधन करने की जरूरत नहीं रहेगी। यह जो संशोधन चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

चौ. राम लाल वधवा (करनाल): चेयरमैन साहब, हमारे सामने जो बिल रैटिफिकेशन के लिये आया है हमको इसे रैटीफाई करना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन यह गुनाह बेलज्जत वाली बात है। जो हमारी सरकार यह कहती है कि आजादी के लिये हमने युद्ध किया और आजादी हासिल की। आजादी से पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आई.सी.एस. एजेन्सी जो है it is enemy of the country लेकिन आजादी के फौरन बाद उनके वे शब्द मुझे याद हैं जो उन्होंने पार्लियामैंट में कहे थे कि ये ऐनिमी आफ दी कन्टरी नहीं हैं बल्कि tower of strength of the Government हैं और यह आई.सी.एस. की एजेन्सी को कायम रखा गया। आज 25 साल के

बाद जबकि उसी पार्टी की सरकार है, उसने कांस्टीच्यूशन के अन्दर धारा 314 को डिलीट करके धारा 312 (ए) रखने के लिए यह अमैण्डमैंट की है। यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं तो इस सरकार के लिये यही कह सकता हूं कि ''जमाना बड़े गौर से सुन रहा था हम ही सो गये दास्तां कहते कहते''। खुद ही उन्होंने यह बात कही थी, खुद ही उसको कायम रखा। आज खुद ही कह रहे हैं, जैसे कि एम्ज एंड आब्जेक्टस जो हैं कि सोशल चेन्ज हो गई है। इन्हें 25 साल में तो सोशल चेन्ज नजर नहीं आई, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज इन्हें सोशल चेन्ज नजर भी आ रही है लेनिक मैं तो कहूंगा कि जहां पर हम आई.सी.एस. की क्लास को खत्म कर रहे हैं, वहां मैं इस हाउस में यह भी कहना चाहता हूं कि आई.सी.एस. के साथ साथ आई.ए.एस. की एजेन्सी को भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हैं उनकी भी कुछ न कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। आज भी एक आई.ए.एस. सैक्रेटरी के आगे मिनिस्टर की पेश नहीं चल सकती। आज आई.ए. एस. भी इतने हकूमत के नशे में चूर हैं जैसे कि आई.सी.एस. अफसर थे। चेयरमैन साहब, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां हम समाजवाद का नारा लगाकर ऐसे प्रिविलेजिज को खत्म कर रहे हैं वहां हमें आज अपनी तरफ भी देखना चाहिए। आज राष्ट्रपति बैठे हैं, गवर्नर्ज बैठे हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, इनके इसी तरह के फजूल खर्चो के ऊपर भी कोई लिमिटेशनज होनी चाहिये। एक तरफ तो यह प्रिविलेजिज आप खत्म करने जा रहे हैं, यानी एक क्लास तो आपने खत्म कर दी

लेकिन दूसरी तरफ जो यह पोलिटिकल प्रिवलेज्ड क्लास है उसे हम तैयार कर रहे हैं (शोर)

श्री सभापतिः आपकी यह स्पीच स्कोप से बहुत बाहार जा रही है।

चौ. राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, यह अख्तियारात सरकार के पास है, इसलिये तो मैं यह मैन्शन कर रहा हूं।

श्री सभापतिः नहीं यह अख्तियारात पार्लियामैंट के हैं।

चौ. प्रताप सिंह दौलताः अगर यह अख्तियारात पार्लियामैंट के पास होते तो यह बिल आज हमारे पास न पहुंचता। हमारे को फुल अख्तियारात इसके मुताल्लिक हैं। दो तिहाई बहुमत से अगर हम रिजैक्ट कर दें तो पार्लियामैंट देखती रहे।

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): यह मोती चौंक वाली स्पीच यहां पर नहीं होनी चाहिये।

चौ. राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, एक और बात जो इस रैटिफिकेशन के अन्दर आई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर से इसको बाहर निकाल दिया गया है, यह ठीक नहीं है। इस प्रिविलेज को हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर से इसे बाहर निकालना था तो इसका एक सही तरीका यह था कि धारा 314 को ही खत्म कर देना चाहिये था। चेयरमैन साहब, सरकार इस तरमीम के द्वारा

अपने हाथ में एक पावर ले रही है। इस वक्त सिर्फ 40 के करीब आई.सी.एस. आफिसर्ज रह गये हैं इसलिये इसका कोई भारी इफैक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आ रही है वह यह है कि जहां पर प्रिविलेजिज को खत्म किया जा रहा है वहां पर जुडीशियरी को भी लिमिट करने की कोशिश की जा रही है जोकि जमूहूरियत के अन्दर एक खतरनाक कदम है। अगर इसको खत्म करना था तो कांस्टीच्यूशन के अन्दर यही अमैंडमैंट लानी चाहिये थी कि धारा 314 को खत्म किया जाता है लेकिन आज इसके लिये एक नया बिल आएगा उसमें से क्या–क्या उनको मिलगा, क्या–क्या उसमें उनका कम किया जाएगा ओर इसके लिए एक बार फिर पार्लियामैन्ट के अन्दर यह बिल आएगा और उस वक्त तक पता नहीं कोई आई.सी. एस. आफिसर सर्विस के अन्दर रहा भी होगा या नहीं। इसलिये मैंने जो यह तथ्य हाउस के सामने रखे हैं, इन पर विचार करते हुए हमें जहां इसको रैटिफाई करना चाहिये वहां इसके साथ रिकमैन्डेशन्ज भी करनी चाहियें। जहां हम इसके अन्दर तरमीम ला रहे हैं कि प्रिमिलेजिज खत्म होने चाहिये वहां हमें इस तरीके से अमैंडमैंट लानी चाहिये कि ऊंचा तबका नीचे आना चाहिये और नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं कि इसे रैटिफाई कर देना चाहिये।

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): चेयरमैन साहब, चौ. दल सिंह जी चले गये। मैं पहले तो उनसे रिक्वैस्ट करूंगा, अगर वे विदड्रा न करें तो मैं आपसे कहूंगा कि वे रिमार्कस, जो उन्होंने एम.एल.एज. के बारे में कह हैं कि आई.सी.एस. और आई.ए.एस. आफिसर्ज के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ऐक्सपेंज किये जाएं। उन्हें कम से कम दूसरे एम.एल.एज. के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिये। वे अपने बारे में कहना चाहें तो कह सकते हैं। हम सौवरन बौडी हैं। वे आफिसर्ज हमारे मातहत हैं। हम जनता को रिप्रेजैन्ट करते हैं। न ही हमारे मिनिस्टर्ज और न ही हमारे एम.एल.एज. उन अफसरों के सामने खड़े होते हैं। अगर एम.एल.एज. खुद अपनी इज्जत आप ही गिराने लगें तो ठीक है उनकी रिसपैक्ट जीरों से भी नीचे चली जाएगी। मैं यह कहूंगा कि ये शब्द ऐक्सपन्ज होने चाहियें जिससे कि हमी प्रिविलेज कौ चैलेन्ज होता हो। दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि मैं इस मोशन की, जैसे कि यह मूव हुआ है, पूरी ताईद करता हूं और मै साथ–साथ इसकी भी तारीफ करता हूं कि इस सबजैक्ट को जुडीशियरी से बाहर निकाला गया है। सवाल फन्डेमैन्टस है। सावरन्टी हमारे चुने हुए पार्लियामैन्ट के मेम्बरों की, एम.एल.एज. की है या सावरन्टी हमसे बाहर निकल के कहीं और लाई करती है। यह सबजैक्टस जस्टिटशिएबल नहीं है और न ही होना चाहिये। अगर यह ऐसा होता है तो यह हमारे राईटस का रिप्रिजैन्टेटिव के राईटस इरोयन है। तीसरी बात मैं यह कहता हूं कि यह जो आई.सी.एस. के प्रिविलेजिज को खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे भी एक भावना

है। प्रिवलेज ब्योक्रेसी की एक जहनियत है और एक ऐसी क्लास जो आई.सी.एस. की थी वह भी खत्म हुई। यह उस जमाने में एक बड़ी नफरत की क्लास थी। कांग्रेस की यानी हमारी अपनी पार्टी पावर में यानी कि मतलब है ब्रिटिश हकूमत के मुकाबले में जो इलैक्टिड रिप्रिजैन्टेटिव होते थे उनके महदूद अख्तियारात थे। उस जमाने में भी हम नफरत करते थे और ब्योक्रेसी को अब भी नफरत करते हैं। हर आदमी नफरत करता है। चेयरमैन साहब, आप हैरान होंगे कि आज के दिन यह ठीक है कि आई.सी.एस. खत्म हो गये हैं मगर आई.ए.एस. बड़ी जहनियत लेकर इसके साथ ऊभर रहे हैं और तेजी से फायदा उड़ा रहे हैं। लैजिस्लेटर्ज को अपने अख्तियारात को एहसास न होने की वजह से वे फायदा उठा रहे हैं। मैं इररैलेवैन्ट बात नहीं करना चाहता क्योंकि यह डायरैक्ट इस ऐडमिनिस्ट्रेशन से कन्सर्ड है। क्या यह सच नहीं है कि आई.ए.एस. के कुछ ग्रुप अपने आप को आर्गेनाईज करते हैं। वह ग्रुप जो नीचे से भरती होकर यहां तक पहुंचे हैं, उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, उनको डिमौरेलाईज करते हैं। जो लोग टैक्निकल साईड में भरती हुए हैं, उनके लिये टैक्निकल डिपार्टमैंटस होते हैं, जैसे ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट है। टैक्निकल डिपार्टमैंट चाहे एक सांयटिफिक डिपार्टमैंट लेकिन जब उसका सैक्रेटरी लगाने का सवाल हो तो उनका जो टैक्निकल सीनियर आदमी है उसका हटाकर उन टैक्निकल आदमियों के सिर के ऊपर आई.ए.एस. लगा देते हैं। जो बत्तीस –बत्तीस साल के टैक्निकल तजुर्बेकार आदमी हैं, उनके मुकाबले में आठ–आठ साल के

नातजुर्बेकर आई.ए.एस. नान टैक्निकल आदमी को उनके ऊपर रख देना, उनकी बदकिस्मती है। नान टैक्निकल आदमियों को टैक्निकल आदमियों के सिरों पर थोप देना यह आई.सी.एस. वालों की वही जहनीयत चल रही है जिसको हम खत्म करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपके नुक्तानिगाह से मैं गुजारिश करूंगा कि ब्योक्रेसी की सारी जहनियत को हम आई.सी.एस. की जहनियत कह सकते हैं। चेयरमैन सहाब, आप हैरान होंगे कि हम पिंजौर गार्डन में गये। लैजिस्लेटर्ज को भी बुलाया गया, औरों को भी बुलाया गया। हमारे लिये वहां पर कोई सीट नहीं, हम वहां पर घूम रहे हैं और सैक्रेटरी, ज्वायंट सैक्रेटरी मजे से बैठे हैं। उनको यह नहीं पता कि तुम हमारे सरवैन्ट हो। उनको यह नहीं पता कि हमारे आका आ गये हैं। सावरन्टी हमारी है। वे हमारे मातहत हैं। न जाने यह जहनियत कब खत्म होगी? अगर दल सिंह जी की यही एप्रोच है कि हमारे वजीर या एम.एल.ए. किसी मुलाजिम के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएं तो यह गल्त है। वे हमारे मुलाजिम हैं, आका नहीं। कोई एम.एल.ए. नहीं खड़ा होता। अगर आप अपना स्टेटस खुद ही लौ करते हो तो करो। मेरी अर्ज यह है साहब कि यह जो आई.सी.एस. की जहमियत है, इसको हमारी सरकार को कर्व करना चाहिये। अगर एक गांव से पैदा हुआ आदमी होम–मिनिस्टर कामयाब हो सकता है और एक गांव का पैदा हुआ आदमी फस्ट क्लास चीफ मिनिस्टर हो सकता है, तो कोई वजह नहीं कि जो नीचे से भरती होकर ऊपर तक गये हों, और टैक्निकल हो वे बढ़िया काम न कर सकें। उनके

मुकाबले मे आई.ए.एस. को जो तरजीह दी जा रही है, यह कोइई ठीक बात नहीं है।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यह 28वां बिल कांस्टिच्यूशन में अमैन्डमैंट के लिये, इस हाउस में प्रस्तुत यिका है मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हूं और इसके साथ–साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जैसे यह विधान के अन्दर अमैन्डमैंट के लिये प्रस्तुत हुआ है उसके साथ–साथ रैटिफिकेशन के लिये यह भी सुझाव देना चाहिये कि जो भावना आज 25 साल क बाद उत्पन्न हुई है मैं समझता हूं इस तरह का विधेयक सन् 1947 के जस्ट आफटर पार्टिशन आना चाहिये था। लेकिन सन् 1950 में विधान बनने के बाद भी इस बात की तरफ कोई ध्यासन नहीं दिया गया। खैर मैं फिर भी यह समझता हूं कि भेदभाव को दूर करने के लिए, डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए अगर 25 साल के बाद भी ऐसा बिल आया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये। इसके जरिए जो आई.सी.एस. अफसरों के प्रिविलेजिज को खत्म किया गया है यह एक बहुत अच्छा कदम है। उसके साथ–साथ स्पीकर सहाब, मैं अपनी सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि जो इस तरह की डिस्पैरिटी है कि एक गरीब आदमी वो तड़प–तड़प कर दवाई, रोटी और मकान के लिए मरता फिरता है और दूसरी तरफ इतने बड़े आदमी हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें उसको खर्च करने के लिए कोई ढंग नहीं दिखाई देता, इस तरह के फर्क को भी सरकार को

दूर करने के लिए सोचना चाहिए। यह जो रैटिफिकेशन की जा रही है इससे अमीर और गरीब का फर्क नहीं दूर होता। यह जो रैटिफिकेशन बिल है इसमें जैसा कि दौलता साहब ने फरमाया था आई.ए.एस. आफिसर्ज नो भी इन्कलूड करना चाहिए। (विघ्न) मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिये * * * * इस तरह की भावना अब भी हम अपने सैक्रिटेरिएट में देख रहे हैं।

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): चेयरमैन सहाब, यह जो हिप्पीइजम वाली बात आई.ए.एस. आफिसर्ज के बारे में कही गई है और जो दौलता साहब ने उनके बालों के स्टाईल के बारे में नुक्ताचीनी की है वह भी ऐक्सपंज होनी चाहिए। मैं समझता हूं हरेक आदमी को यह राईट है कि जैसे उसे पसन्द हों वैसे वह अपनी मर्जी से बाल कटवाए।

श्री सभापति: हां जी ठीक है यह डिप्पीइजम वाला सैन्टैंस और दौलता साहब ने जो रिमार्कस किए थे वे ऐक्सपंज होने चाहिए।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

Ch. Partap Singh Daulta: On a point of personal explanation. If an other Member except the Honourable Minister had accused me of this I might not have stood to explain myself. I never pointed out anybody or I did not refer

to any person that he shold be dressed this way or that way. This is not my habit. Certainly not. I did not mean anything of that kind. He did no hear me.

सरकारी संकल्प पर विचार (पुनरारम्भ)

श्री अमर सिंह: चेयरमैन साहब, जैसे इन्डिया में आई.सी.एस. अफसरों की ए, बी और सी क्लास है इसी तरह से आई.ए.एस. की भी क्लासिज हैं। इस बात तो ठीक है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से यह क्लासिज बहुत इम्पौरटैंट हैं लेकिन इसके साथ–साथ हमारी जो लैजिस्लेयर है वह डैमोक्रेसी में सुप्रीम है और जो, आई.ए.एस. अफसर हैं वे सारे इसके मातहत है। लेकिन देखने में यह आता है जैसा कि बहुत से साथियों ने मुझसे पहले बताया है कि जो आई.ए.एस. अफसर हैं वे आज भी वहीं रोल अदा कर रहे हैं जो कि आई.सी.एस. अफसर करते चले आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आई.ए.एस. अफसरों पर भी ध्यार रखा जाए कि वे आई.सी.एस. अफसरों के नक्शेकदम को फालो न करें। उनके ऊपर लैजिस्लेचर का पूरा कन्ट्रोल होना चाहिये और उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं लैने देना चाहिए। हमने देखा है कि अगर कोई लैजिस्लेटर देहली हरियाणा भवन में ठहरता है तो उससे आई.ए.एस. अफसरों की निस्बत ज्यादा चार्ज किया जाता है। पिछले दिनों मैं वहां पर गया था और यह चीज मैंने खुद देखी थी।

श्री सभापति: यह बात रैटिफिकेशन के साथ कैसे रैलेवैंट है?

श्री अमर सिंह: मैं इस रैटिफिकेशन बिल की पुरजोर ताईद करता हूं और यह भी प्रार्थना करता हूं कि इसके साथ–साथ यह भी ऐंडोर्समैंट कर दी जाए कि जो अमीर और गरीब का इतना बड़ा गैप है उसको दूर किया जाएगा। आज हालत यह है कि एक आदमी को तो 100 रूपया तनख्वाह दी जाती है और उसके मुकाबले में कई आफिसर चार–चार हजार रूपया तनख्वाह लेते हैं। यह जो इतनी बड़ी डिसपैरिटी है इसको दूर करना चाहिये और हमें रैटिफिकेशन बिल पास करते हुए इस किस्म का सुझाव भी साथ देना चाहिए। इन अलफाज के साथ मैं इस रैटिफिकेशन बिल की ताईद करता हूं और साथ ही यह भी कहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से जो आज डिसपैरिटी है उसको भी दूर करना चाहिए।

चौ. शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): सभापति महोदय, आज जो अट्ठाईसवा संशोधन हमारे भारत के विधान में होकर इस विधान सभा में रैटिफिकेशन के लिए आया है उसके बारे में कुछ बातें मैम्बर सहिबान ने यहां रखी हैं और उन सबका एक ही मतलब है और वह यह है कि इस देश के अन्दर नाबराबरी का जो इतना भारी फर्क है उसको दूर करके आहिस्ता–आहिस्ता लोगों के अन्दर बराबरी लाई जाए। लेकिन इस रैटिफिकेशन बिल के बारे में जो सरकार की तरफ से इतना शोर डाला जा रहा है कि इसके

जरिए यह बहुत भारी भेदभाव दूर करने जा रही है यह मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने वाली बात है क्योंकि इस बिल के पास करने से कोइ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आई.सी.एस. अफसर हैं वे तो वैसे ही चार पांच सालों के बाद सबके सब रिटायर होने वाले हैं इसलिए इनके प्रिविलेजिज को कम करने से स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। अगर स्थिति में तबदीली लानी है तो जो और भेदभाव चल रहे हैं उनको दूर करने के लिए ध्यान देना चाहिए। यदि यह सोचा जाए कि दो या चार अफसरों की सुविधाएं कम करके इस देश में बराबरी आ जाएगी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की भी गलतफहमी है और वह लोगों को अन्धेरे में रखना चाहती है।

श्री सभापतिः आप इसके हक में हैं या खिलाफ हैं?

चौ. शिव राम वर्माः मैं इसको स्पोर्ट ही करता हूं और साथ–साथ यह भी कह रहा हूं कि जो दूसरे भेदभाव हैं वे सारे दूर होने चाहिएं। यह जो रैटिफिकेशन की जा रही है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, जिस बातों से फर्क पड़ना है वे तो दूसरी हैं। शिक्षा को आप ले लीजिए, एक तरफ तो पब्लिक स्कूल हैं। (विघ्न)

श्री सभापतिः पब्लिक स्कूल इसमें कैसे आ गए?

चौ. शिव राम वर्माः चेयरमैन साहब, जो बातें भेदभाव की जड़ हैं उनको तो बीच में लाना ही पड़ेगा, केवल एक ही बात करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। जो पब्लिक स्कूल हैं

वहां पर तमाम सरमाएदारों और अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं और शुरू से ही उनको आला किस्म की तालीम मिलती है और जब वे वहां से निकलते हैं तो सीधे ही अफसर बनते हैं। लेकिन उनके मुकाबले में जो गरीबों के बच्चे हैं उनको तालीम अच्छी नहीं मिलती इसलिए वे चपड़ासी या क्लर्कों के सिवाए और कुछ नहीं बन पाते। इसलिए अगर इन बातों की तरफ ध्यान न दिया गया तो हमारे प्रान्त में बराबरी नहीं आ सकती। शिक्षा सुविधाएं सबके लिए बराबर किय बिना यह भेदभाव सदा इसी प्रकार बने रहेंगे।

श्री सभापति: क्या यह आप रैटिफिकेशन पर बोल रहे हैं?

चौ. शिव राम वर्मा: चेयरमैन साहब, ना बराबररी का जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए तो ये सब बातें कहनी ही पड़ेंगी।

श्री सभापति: आप दो बातें कह रहे हैं। आप कहते हैं कि आई.सी.एस. वालों की प्रिविलेजिज खत्म होनी चाहिएं लेकिन साथ में आप यह कह रहे हैं कि पढ़ाई ठीक नहीं है। पढ़ाई का इस रैटिफिकेशन वाली बात से क्या ताल्लुक है?

चौ. शिव राम वर्मा: यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहा जा रहा है कि यह चीज इसलिए लाई जा रही है क्योंकि समाज में से भेदभाव मिटाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि भेदभाव मिटाना है तो फिर यह एलान करो कि शिक्षा

के मामले में जो भेदभाव चल रहा है और जो अलहदा–अलहदा पढ़ाई के स्टैंडर्ड चल रहे हैं वे दूर किये जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह तो सारे देश में पब्लिक स्कूलों के स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो या फिर यह स्कूल बन्द किए जाएं और सारे स्कूलों में गांव के स्टैंडर्ड के स्कूलों की पढ़ाई चले और यह नहीं होना चाहिए कि गरीब बच्चे तो घटिया किस्कम की पढ़ाई हासिल करें और जो अमीर हैं जिनके पास पैसा है वह अपने पैसे के जोर पर अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ा कर अफसरी लाईन में ले जायें। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो बुनियादी भेदभाव समाज में चल रहा है कि अमीरों के बच्चे तो आला पब्लिक स्कूलों में पढ़ कर अफसरी लाइन में जाएं और गरीबों के बच्चे जिनके पास साधन नहीं हैं पब्लिक स्कूलों में पढ़ने से पीछे रह जाएं। सारे देश में एक प्रकार की शिक्षा चलनी चाहिए ताकि अमीर–गरीब सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़े और जिसका दिमाग तेज हो वह आगे निकल जाए चाहे वह गरीब का बच्चा हो अमीर का हो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में सबका बराबर का दर्जा हो, गरीबी को हटाना है और समाज में से भेदभाव का हटाना है और लोगों को बराबर का आगे बढ़ने का मौका देना है तो फिर शिक्षा के स्तर में जो भेदभाव चल रहा है उसे दूर करना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर यह जो बात आप कर रहे हैं यह खोखली नारेबाजी है और कुछ नहीं। आई.सी.एस. वाले कितने हैं? 50/60 होंगे और वे भी चार पांच साल में खत्म हो जाएंगे इसलिए इसे लाने का फायदा तभी होगा

कि जिस भावना को लेकर यह प्रस्ताव लाया गया है कि समाज में से असमानता खत्म करनी है और जिसका हम समर्थन करते हैं उस भावना पर चलते हुए समाज मैं कम से कम शिक्षा के मामले में जो अमीर–गरीब का भेदभाव चल रहा है उसे खत्म किया जाए तब ही कोई फायदा हो सकता है नहीं तो मैं यह कहूंगा कि यह केवल नारेबाजी की बातें हैं। कुछ साथियों की तरफ से कहा गया है कि आई.सी.एस. वालों की सुविधाएं तो खत्म कर दीं लेकिन आई.ए.एस. वालों ....

Mr. Chairman: Order please; no repetition of other member's arguments.

चौ. शिव राम वर्मा: मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सही मायनों मैं समाज में से भेदभाव मिटाना चाहते हैं तो आप को इन सारी भेदभाव वाली बातों की तरफ ध्यान रखना होगा नहीं यह इस तरह करके अगर आप ने पांच दस हजार रूपए महीना की बचत कर ली तो इससे असमानता खत्म नहीं होगी। यह बचत भी पता नहीं कब होगी और कब यह ऐक्ट बन कर पास होगा। यह तो केवल नारेबाजी वाली बात है। खैर जिस भावना से यह प्रस्ताव लाया गया उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने खासतौर पर शिक्षा के बारे में दिया है उसे ध्यान रख कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

चौ. फूल चन्द (मुलाना अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, जो विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिए पेश किया गया मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक पेश किया गया है यह एक प्रगतिशील कदम है और हमार सरकार जिस भावना को लेकर चली है मेरा मतलब है समाज में असमानता दूर करने की जो भावना लेकर सरकार चली है उस भावना को पूरा करने के लिए ऐसा विधेयक लाया जाना बहुत आवश्यक था। आज के युग में तो इस नौकरशाही में बहुत अन्तर आ गया है लेकिन कोई जमाना था जब कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी की जड़ आई.सी.एस. अफसर हैं और यह बात ठीक भी थी। नौकरशाही में जो असमानता थी वह इसमें शक नहीं अब दूर होगी। कई सदस्यों ने बहस में भाग लेते हुए आई.ए.एस. अफसरों को भी बीच में लपेट लिया। उनकी भावना तो ठीक हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने कुछ बातें हैं वे कहनी नहीं चाहिएं थीं। जिस तरह से हम इस हाउस के आनरेबल मैम्बर हैं उसी तरह से वे भी इस सरकार के आनरेबल अंग हैं और उनके लिए कोई अपशब्द इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। अगर आप कोई बात ठीक नहीं समझते तो कानून बना कर उसे सही कर सकते हैं लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि यह निहायत अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि सरकार जो समाज में गरीबी दूर करना चाहती है और असमानता हटाना चाहती है उसकी तरफ एक कदम है और मैं आशा करता हूं

कि सरकार ऐसे ऐसे विधेयक लाएगी जिनसे समाज में एकता आएगी और असमानता दूर होगी। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (सोनीपत): चेयरमैन साहब, यह जो कांस्टिच्यूशन की अठाइसवीं अमैंडमैंट रैटिफिकेशन के लिये हमारे सामेन है इस पर बहुत सारे साथियों ने अपने विचार रखे हैं। जहां तक इसकी रैटिफिकेशन का ताल्लुक है इस पर किसी को भी कोई मतभेद नहीं है और सब चाहते हैं और महसूस करते हैं कि यह अच्छा काम है। बैटर लेट दैन नैवर चलो अब यह काम कर दिया तो भी ठीक है लेकिन इस रैटिफिकेशन क साए में जिन जजबात, ख्यालात और तासरात का इजहार किया गया है वे बीयौंड दी स्कोप आफ दिस रैटिफिकेशन थे। आई.सी. एस. अफसरों को जो फेसिल्टिज या अमैनिटीज थीं वे कांस्टिच्यूशन में रखी गई थीं और अब 25 साल के बाद भारत सरकार ने समझा कि इनको खत्म करना जरूरी है। इस बात को सभी चाहते हैं और इस वैल्कम करते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि इस पर इतनी टिकाटिपणी क्यों? इसकी जरूरत नहीं थी। इस सिलसिले में आई.ए.एस. अफसरों का भी जिक्र कर दिया गया लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनको यह सारी फैसिलिटीज नहीं हैं और वे पुराने आई.सी.एस. वालों की तरफ सैक्रेटरी आफ स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। वे तो हमारे हिन्दुस्तान में कंपिटिशन के जरिए आते हैं और उस कंपिटिशन में चाहे अमीर

का बच्चा आ जाए या गरीब का आ जाए, फकीर का आ जाए या किसी सैक्रेटरी या वजीर का आ जाए ओपन कंपिटिशन होता है उसमें जो चाहे बैठ जाए। आप देखते हैं हमारे यहां मैडिकल कालेजों में और इंजीनियरिंग कालिजों में जो क्राइटेरिया है वह मैरिट का है और कोई सिफारिश का सवाल नहीं है। अगर यह क्राइटेरिया न होता तो हम अच्छी तरह से गवर्नमैंट की कड़ी नुकताचीनी कर सकते हैं कि जिसका दाव लगा वह दाखिल हो गया लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह मैं मानता हूं कि गरीबी के बच्चों को तालीम के मामले में वे साधन में वे साधन हासिल नहीं हैं जो अमीरों के बच्चों को हैं। लेकिन आई.ए.एस. में कंपिटिशन में जो आते हैं वे मैरिट पर आते हैं और वहां मेरा ख्याल है कोई सिफारिश नहीं चलती। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके साये में इधर–उधर से किसी को घसीटना और नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं है। एक भाई ने बताया कि कल अम्बाला में यह हुआ कि लैजिस्लेटर को डयू रिसपैक्ट शो नहीं की गई ....

आवाजेंः कौन सी बात हो गई पंडित जी हमें भी बता दो?

पण्डित चिरंजी लाल शर्माः मैं तो वहां पर नहीं था लेकिन मुझे किसी ने अभी–अभी बताया है। बहरहाल फिर इसके बाद एक चीज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी कही गई। They have a right to knock the doors of the Court. एक

अच्छे काम की सराहना करने का मतलब यह नहीं कि जुडीशियरी पर अटैक किया जाए। इसमें लिखा है:–

"Provided that in the case of any such person who is holding or has held the office of the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor-General of India, the Chairman or other member of the Union or a State Public Service Commission or the Chief Election Commissioner, nothing in sub-clause (a) or sub-clause (b) shall be construed as empowering Parliament to wary or revoke, after his approintment to such post, the consitions of his service to his disadvantage ....'

हमारे कंट्री की कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनको डयू रिस्पैक्ट दी जानी चाहिए जैसे जजिज हाई कोर्ट, जजिज सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनकी कुछ सैक्टिटी होती है, जिसको टच नहीं किया जाना चाहिए। महज क्रिटिस्जिम फार दी सेक आफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमैंट के खिलाफ कुछ बातें हैं, गवर्नमैंट की पालिसी के खिलाफ कुछ बातें हैं तो उन पर बोलने के लिए आप के पास कई आपर्चुनिटीज हैं, कई मौके हैं अपने ख्यालात इजहार करने के लिए। किसी भाई का डिफरैंस आफ ओपीनियन हो सकता है, वे इसका विरोध कर सकते हैं लेकिन ये कहीं 'गरीबी हटाओ' के नारे ले आये, कही कांग्रेस सरकार को ले आये, कहीं तनख्वाहों के मामले को ले आयें तो यह ठीक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जो आपने कहना है वह

सीधा कहें, उलट न कहें .... (व्यवधान)। मेरी ओपीनियन यह है कि जो भाई दायें बायें हैं वे शैंस रखें, हमारी बात सुनें, हमने भी बड़े तहम्मल से उनके ख्यालात खुने। (व्यवधान) अगर चौ. रिजक राम मेरे बोलने पर क्रिटिसिज्म न करें तो उनको मजा नहीं आता (व्यवधान)। तो चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर राह था कि तो रैटिफिकेशन हमारे सामने है इसको बिना हिलोहुज्जत से पास कर देना चाहिए। गवर्नमैंट को गाली देने के लिए, गवर्नमैंट की पालिसी को क्रिटिसाईज करने के लिए बहुत मौके हैं। हमारी गवर्नमैंट इस हैल्दी क्रिटिसिज्म का स्वागत करेगी, लेकिन यह चीज नहीं होनी चाहिए।

चौ. रिजक राम: पिछली स्पीच भी निकाल कर देख लें ....(व्यवधान)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: आपको निकाल कर दिखा दूंगा।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): चेयरमैन साहब, सदन में करीब एक घंटे से 28वीं अमैंडमैंट पर, बिल को रैटिफाई करने के सिलसिले में बहस चल रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि सदन के हर कोने से इस बिल का स्वागत हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जैसे अभी पंडित चिरंजी लाल जी कह रहे थे कि इस काम को अच्छा बता कर इसके साथ और भी बातें लोने की कोशिश की गई है। हमारे सदन के विरोधी सदस्यों में से कुछ

साथियों ने आई.ए.एस. आफिसर्ज पर बड़े ऐलीगेशंज लगाए और तरह–तरह की नुक्ताचीनी की। ठीक है, सदस्यगण को नुक्ताचीनी करने का हक हासिल है, ये कोई भी बात आराम से कह सकते हैं। लेकिन उनको आई.ए.एस. आफिसर्ज की नुक्ताचीनी करते समय यह भी देखना चाहिए था कि आई.ए.एस. आफिसर्ज को कितने काम करने पड़ते हैं। एक साहब कह रहे थे कि उनको इंजीनियर्ज के ऊपर बैइा दिया। चेयरमैन साहब, अगर मैं सदस्य साहब से एक छोआ सा सवाल पूछुं कि अगर वे सबसे ऊपर यानी आई.सी.एस. आफिसर्ज के ऊपर आकर बैठें तो उनकी तालीम क्या है, उनका अपना तजुरूबा फील्ड में क्या है, वे खुद कितनी लियाकत रखते हैं? दूसरे आदमी पर हमला करने से पहले वे अपनी लियाकत, अपने तजुरूबे और अपनी सफलता पर नजर डालकर देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आई.ए.एस. आफिसर्ज बिल्कुल कामयाब आफिसर हैं, अच्छा काम करते हैं और हमारे देश का शासन चलाने में उनकी बहुत बड़ी कंट्रिब्यूशन है। अच्छे काम को अच्छा कहना ही चाहिए। कई सदस्यगण ने बार–बार गरीबी हटाओ की बात की। गरीबी हटाने के लिए हमारी पार्टी कमिटिड है, हमारी नेता प्रधान मंत्री जी, बार बार पब्लिक में इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि हमें गरीबी हटानी है ओर उनका ऐलान करने का मतलब सिर्फ ऐलान करना ही नहीं बल्कि उस ऐलान पर अमल करना शुरू कर दिया है। उस ऐलान की इम्पलीमैंटेशन शुरू हो गई है। लेकिन इसके दूसरी तरफ मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे जनसंघ के भाई यह कहते हैं कि वे कांग्रेस के आगे

सोशलिस्ट हैं या कांग्रेस के आगे गरीबी हटाने के हक में हैं। ये वकालत तो बिरला टाटा और डालमियां की करते हैं लेकिन यहां सदन में आकर गरीबों के हक में दो शब्द कह कर उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं .... (व्यवधान)।

चौ. राम लाल वधवा: गुरबत हमने नहीं बढ़ाई, आपने ही बढ़ाई है ....(व्यवधान)। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)।

4.00 P.M.

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, बाकी हरियाणा में क्या मिसाल है, यह तो मैं कह नहीं सकता लेकिन प्रान्त के जिस हिस्से से मैं और आप आते हैं वहां यह मिसाल है कि – 'टाकर वाला ऊंट सबसे ज्यादा कराहता है'। ये टाकर वाले ऊंट है, यानी राजाओं के ताश के पत्ते हैं, ये जनसंघ वाले उन्हीं की वकालत करते हैं और इनकी पार्टी में जितना रूपया खर्च होता है, उनके बारे में अगर मैं यह कहूं कि सारा पैसा किसी बाहरी शक्ति का होता है जिसको ये खर्च करते हैं और उसी पैसे से ये पनपते हैं, राजा महाराजाओं के पैसे से पनपते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन इनको इस बात का पता नहीं कि जो पैसा जनसंघ वाले इस्तेमाल करते हैं वह कहां से ओर कितने हजार मील दूर से आता है। चेयरमैन साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने हमारे रैजोल्युशन को स्पोर्ट किया और इस अमैंडमैंट के हक में बोले और गरीबी हटाने की बात भी बोलते रहे। अभी कुछ ही

दिनों के बाद स्पीकर साहब, गरीबी हटाने की बात भी बोलते रहे। अभी कुछ ही दिनों के बाद स्पीकर साहब, गरीबी हटाने के लिए हम असली बिल लाने वाले हैं। उस दिन मैं देखूंगा कि हमारे जनसंघ वाले भाई और विरोधी दल के दूसरे सदस्यगण जो यहां बैठे हैं, जिन्होंने आज गरीबी हटाने का बड़े जोरदार शब्दों में नारा लगाया है, कितने जोर से नारा लगाएंगे। यह एक हफ्ते के बाद इसी सदन में मैं देखना चाहूंगा कि उस दिन क्या ये इस बात का समर्थन करेंगे कि गरीबी दूर करनी चाहिए और सरमाएदार को पिक्चर से दूर करना चाहिए। तो उस दिन मैं देखूंगा कि ये कितनी हमारी स्पोर्ट करते हैं और मैं आशा रखूंगा कि आज जो गरीबी हटाओ नारा लगा रहे हैं या सोशलिस्ट बनने की बात बना रहे हैं वे उस दिन भी सोशलिस्ट रहेंगे और गरीबों के हक में, न कि बड़े लैन्ड लार्डज के हक में ऐलान करेंगे। बिल हम इसी सैशन में लाने वाले हैं।

स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं आप के जरिए सदन को एक बात का विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई कुछ इर–रैलेवैंट बातें यहां कही गई हैं लेकिन किसी गरीब के हक में जो बात कही गई या आपोजीशन में किसी खामी की बात सामने आई उस पर हम अमल करेंगे क्योंकि गरीबी को हटाने के कोशिश हमारी पार्टी की बदस्तुर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। किसी जगह कोई भी खामी यदि हमारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में पाई जाएगी और विरोधी दल के सदस्यों में से कोई

सदस्य कोई बात सरकार के नोटिस में इस किस्म की लाएगा तो बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी पार्टी के भेद भाव के सरकार पूरी तरफ से हर आदमी को इंसाफ देगी। कांग्रेस पार्टी, जिसकी हरियाणा प्रान्त में सरकार है, कंट्री में गरीबी हटाने के लिए कमीटिड है और हम गरीबी हटायेंगे। (तालियां) इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस रैजोल्यूशन को पास कर दे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है:–

'कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक की व्याप्ति में आते है तथा संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा किये जाने प्रस्थापित हैं।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (तालियां)

दी पटियाला म्यूनिसिपल (ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Patiala Municipal (Executive Officers) Haryana

Amendment Bill, 1972 (पटियाला नगरपालिका कार्यपालक अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1972)

Ch. Bansi Lal: I beg to move –

That the Patiala Municipal (Executive Officers) Haryana Amendment Bill पटियाला नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि दी पटियाला म्यूनिसिपल (ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल (पटियाला नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

(कुछ सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः चौ. रिजक राम। (चौ. रिजक राम बैठ गए और चौ. दल सिंह बोलने के लिए खड़े हो गए)

चौ. दल सिंह

पंडित चिरंजी लाल शर्माः स्पीकर साहब, पहले आपने चौ. रिजक राम जी को बोलने के लिए कहा था परन्तु चौ. दल सिंह जी पता नहीं क्यों खड़े हो गए?

चौ. दल सिंहः हमारा समझौता हो गया है जी।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मुझे खतरा इस बात का भी था कि कहीं मेरा और चौ. रिजक राम का समझौता न हो जाए।

श्री अध्यक्ष: समझौता होना कोई बुरी बात नहीं।

चौ. दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बिल अभी हाउस में पेश किया है मैं इसका विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि एक तरु तो सरकार कहती है कि बचत करनी है लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बिल ला रही है। अभी कुछ देर पहले हाउस के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था जो सर्वसम्मति से पास हुआ है। उसका उदेश्य यही था कि हालात चेंज हो गए हैं, हालात में परिवर्तन हो गया है इसलिए हमने स्पैशल हकूक को खतम करना है और बचल करनी है। इस बिल के 'उदेश्य और कारण' में भी यह लिखा है कि –

"The Patiala Municipal (Executive Officers) Act, 2003 B.K. provided for a maximum of Rs. 700 inclusive of all allowances to Executive Officers working in Municipal Committees. With the changed conditions, this amoutn is considered inadequate. It is essential to raise this ceiling. The Bill seeks to achieve the object in view."

कितनी हैरानी की बात है, स्पीकर साहब! एक तरफ तो देश के अन्दर गरीबी हो और ये लोग 'गरीबी हटाओ' का बड़ा नारा देते हों लेकिन दूसरी तरफ एक ऐग्जैक्टिव अफसर की तनख्वाह इस तरह से बढ़ाना चाहते हों और बढ़ाना भी कब से

चाहते हैं, अगस्त, सन् 1968 से। कमाल की बात है। आज सन् 1972 है, चार साल पहले से ये इस कानून को इस अमैंडमैंट के जरिए हरियाणा में लागू करना चाहते हैं और ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज की तनख्वाह को सात सौ से बढ़ाकर पंद्रह सौ, एक दम दुगनी करना चाहते हैं। कोई आदमी अगर ईमानदारी से इसे देखे तो वह जस्टिफाई नहीं कर सकता कि गवर्नमैंट का कदम ठीक है। इस बात को कि 'कहना कुछ और करना कुछ' यह बिल साफ जाहिर करता है। इससे यह पता लगता है कि गवर्नमैंट का एम क्या है, इरादा क्या है और ऐलान क्या है। तो मैं ज्यादा अर्ज न करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हमें सही सही पता लगना चाहिए कि यह तनख्वाह क्यों बढ़ाई जा रही है? मेरे ख्याल में तो गवर्नमैंट यह कहेगी कि उन्हें बड़े काबिल आदमी चाहिएं। ये चाहते हैं कि आज की म्यूनिसिपल कमेटीज के ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज भी आबिल आदमी हों। यह बात तो ठीक है कि काबिल आदमी हों लेकिन इस रिविजन को जस्टिफाई करने के लिए कोई न कोई बेसिज तो होना चाहिए। अगर उनका कोई रैजोल्यूशन होता हमारी तनख्वाह बढ़ाओ या किसी ऐग्जैक्टिव अफसर ने इस्तीफा दे दिया हो कि तनख्वाह कम है इसलिए मैं इस्ती्ा देता हूं तब तो कोई बात होती। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार सिकी अपने आदमी को लाना चाहती है या लगे हुए को फायदा उठवाना चाहती है वरना इस महंगाई के जमाने में जबकि गरीबों को रोजगार ने मिलता हो एक कैटेगरी की इस तरफ से एकदम दुगनी तनख्वाह कर देने का और वह भी पिछले चार साल से,

कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं। तो इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, यह जो बिल सरकार ने यहां पेश किया है मैं इसका विरोध करता हूं।

चौ. बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में एक बात क्लैरिफाई कर दूं, फिर कोई ज्यादा बात बोलने को रहेगी नहीं।

स्पीकर साहब, यह जो अमैंडमैंट बिल हम लाए हैं इसको लाने का असल मंशा यह था कि एक जगह कोई ऐग्जैक्टिव अफसर पुराना चला आ रहा है उसकी तनख्वाह सात सौ रूपए से ज्यादा है। अगला जो सैशन इस बार आने वाला है सदन का उस सैशन में हम एक नया म्यूनिसिपल बिल ला रहे हैं जो पैप्सू और पंजाब दोनों ऐक्टस को एक करेगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए सदन को इस बात का विश्वास दिला देना चाहता हूं कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि 1500 रूपए महीने पर कोई अपना आदमी या पोलिटिकल आदमी भर्ती करके लगा दे। अगर सात सौ रूपए से ज्यादा लेने वाला कोई आदमी हम कहीं लगाएंगे तो बाई चान्स किसी एच.सी.एस. या आई.ए.एस. को किसी म्यूनिसिपल कमेटी में थोड़े बहुत अर्से के लिए लगाएंगे। इसमें हमारा कोई पोलिटिकल परपज या मोटिज नहीं है। हम ऐसा कोई आदमी लगाना नहीं चाहते और फिर अगले सैशन में एक नया बिल आ रहा है।

चौ. अमीर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, इस बिल के हाउस मे आने से पहले हमने युनानिमसली संविधान के अट्ठाईसवें संशोधन सम्बन्धी बिल, 1972 की रैटिफिकेशन की है। अगर इस बिल का इरादा भी उसी तरह का होता तो फिर कोई आपत्ति की बात नहीं थी लेकिन स्पीकर साहब, इसमें लिखा है कि–

"In sub-section (1) of section 3 of the Patiala Municipal Executive Officers Act, 2003, for the words, "seven hundred rupees", the words "one thousand and five hundred rupees" shall be substituted."

सवाल यह है, स्पीकर साहब, कि एक तरफ तो सुबह जवाब देते वक्त आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सदन में यह बताया कि फाईनैन्शल क्राइसिज में वे बहुत सारी बातों पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बिल ले आएं वह कोई उचित बात नहीं है। फिर इसको लागू भी सन् 1968 से करवा रहे हैं। इस बात का भी पता नहीं है कि एक आदमी है या पचास आदमी हैं। इस अमैंडमैंट के तहत एक ऐग्जैक्टिव अफसर को फायदा दिया जा रहा है या 40 या 50 ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज को फायदा पहुंचाने के लिए इस अमैंडमैंट को लाया जा रहा है यह बात भी इस बिल से जाहिर नहीं होती। Nothing has been mentioned in this Bill. तो बात यह है कि जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी अश्योरैन्स भी दी है कि नैक्सट सैशन में वे नया म्यूनिसिपल बिल ला रहे हैं

जिसके द्वारा पंजाब और पैप्सू के दोनों ऐक्टस को मिलाकर हरियणा का एक म्यूनिसिपल ऐक्ट बन जाएगा।

मेरी यह समझ में नहीं आता कि इस बिल को ये अगस्त, सन् 1968 से क्यों लागू करना चाहते हैं? क्या किसी स्पेसेफिक ऐग्जैक्टिव अफसर के लिए यह बिल लाया गया है? यदि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगले सैशन में नया बिल लाने वाले है तो इसके चार–छः महीने चलाने में क्या आपति आ गयी थी। मुझे तो इस ऐक्ट में भेद मालूम पड़ता है। इस ऐक्ट के पीछे जो भावना है वह भी कुछ दूसरी ही है। जो भावना पहले बिल में थी, जिसे हाउस के अन्दर पेश किया गया और जेरे बहस रहा वह समाजवाद की, गरीबी को हटाने की और समाजवाद के पथ पर चलने की थी। उस बिल के द्वारा आई.सी.एस. अफसरों से प्रिविलेजिज खत्म करने की बात को युनानिमसली, एक राय से हाउस ने पास किया है। अगर इस बिल के पीछे कोई दूसरी भावना नहीं है तो यह बिल स्पीपर्ज की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आता तो मै। इसका स्वागत करता और आपोजिशन में बैठे हुए मैं ऐसे बिल का हार्दिक स्वागत करता लेकिन स्पैसिफिक आदमी के लिए या स्पैसिफिक क्लास को फायदा पहुचाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं इसे आपत्तिजनक बिल समझता हूं और इसका विरोध करता हूं। आज स्टेट के अन्दर फाइनैन्शल क्राइसिज आये हुए हैं बहुत सारे गरीब मजदूरों को काम करने तक को नहीं मिलता है और लाखों आदमी जो अपनी रोजी विकास कार्य करके

कमाते थे वे सारे काम आज बन्द कर दिए गये हैं। तीन जून के बाद स्टेट में सभी विकास धंधे बन्द हो गये हैं और सारे मजदूर तबके के अन्दर आपत्ति फैली हुई है उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से अपनी रोजी कमायें। इन फाइनैन्शल क्राइसिज के दौरान इस तरह का विधेयक लाकर और एक क्लास के अफसरों को, ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज को इस तरह का फायदा पहुंचाना उचित नहीं। अगर किसी ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज की 700 रूपये के पूर्ति नहीं होती है तो क्या और अधिक देने से हो जायेगी? स्पीकर साहब, आप तो समाजवादी हैं। आपको पता है कि जिस गरीब को काम करने को दिन में ध्याड़ी नहीं मिलती है वह किस तरह से आज ऊंचा उठेगा?

चौ. बंसी लालः अगर आनरेबल मैम्बर सड़क पर काम करने के लिए तैसार हों तो कल से ही पांच रूपये ध्याड़ी पर लगवा देंगे।

श्री अमर सिंहः यह आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हल चलाने के लिए मैम्बर हों तो मैं पचास रूपये दूंगा। मैं तो पांच रूपये ध्याड़ी पर भी काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तो एक मजदूर के घर पैदा हुआ हूं। हमारा तो यह काम रहा है। परन्तु मेरे कहने का मतलब तो इतना है कि जब इस तरह से स्टेट के अन्दर क्राइसिज आए हुए हों तब ऐक्सचैकर पर क्यों इतना बर्डन डाला जाता है?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप रैपिटिशन न करें तो ठीक है।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि at present, under such financial crisis such a type of Bill should not be moved and passed in this House.

Ch. Bansi Lal: I would like to intervene for a moment.

Mr. Speaker, Sir, just after Ch. Dal Singh spoke, I gave an assurance that we are not going to appoint any body who may draw a salary of 1500 Rupees., But, since then one Hon. Member from the Opposition has spoken on this Bill and he has doubted the intention of the Government. He has been very unreasonable and, if I say that he has been most irresponsible would not be wrong. The assurance given by me to the House that no body will be appointed in that manner is withdrawn. I withdraw that assurance and the Opposition is at livberty to speak in any manner they like.

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, मैं इस बिल की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि सी.एम. आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन एक सी.एम. की अश्योरैन्स की रैलेवैन्सी कानून बन जाने के बाद, इस सैंस में नहीं कि यह कानून बन गया, उसके बाद तक तक वह कानून रहेगा जब तक लैजिस्लेचर न बदल दे। किसी इंडिविजुवल सी.एम. की बिल के कोई माने नहीं। मुख्यमंत्री जी की एक बात मेरी समझ में

नहीं आई कि क्यों तो उन्होंने पहले अश्योरैन्स दी थी और फिर क्यों विदड्रा की? मेरा सीधा सा आर्गुमैंट यह हे कि गरीबी की और अमीरी की लड़ाई को ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामलों मैं कनफ्यूज कर देना, यह बाहर के लिए तो मुनासिब है लेकिन यहां इस चीज के लिए यह सबसे बड़ी बे–इंसाफी है। गरीब आदमियों के, उनकी कमायी के 35 रूपये रोज और 600 रूपये माहवार हम ले करके हम यहां पर ये बातें कहें कि मजदूर दो पैसे लेता है या मुनासिब बात नहीं। पहले तो हम, हर मैम्बर, एम.एल.ए. ही गरीब से टकराता है तो दो रूपये सड़क कुटने वाले के होते हैं वे हम लेने शुरू कर दें, भत्ता न लें। इस नारे को, गरीबी की लड़ाई को ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के कनफ्यूज करने की बात उचित नहीं। यह बात तो बड़ी सीधी और सिम्पल हैं जिस वक्त पंजाब और हरियाणा की री–आर्गेनाइजेशन हुई, उस वक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन में मुखतलिफ रूल ओर मुख्तलिफ प्रैक्टिसिज थीं। लीडर आफ दी हाउस ने कहा कि हम इसको यक्सां बनाना चाहते हैं। अगर 1500 रूपये तनख्वाह किसी की है और इस वक्त कानून में 1500 का प्रोवीजन नहीं हो तो आप ऐसी बात कहें कि कोई 1500 तो पहले ही ले रहा है औ उस पोस्ट पर काम कर रहा है तो मैं समझता हूं कि कानून में यह प्रोविजन होनी ही चाहिए।

इसमें क्या अपोलोजैटिक गवर्नमैंट हो गयी। 1500 रूपये की काबलियत का आदमी इनको न मिलता होगा तो ये न अप्वायंट करेंगे। अभी तक सीलिंग इन्कम पर कोई आयी

नहीं बेचाररे ऐग्जैक्टिव अफसर पर खास किस्म की सीलिंग के लिए क्यों गवर्नमैंट गारन्टी दे और क्यों आपाजिशन गारन्टी मांगे? क्या रैलेवैन्सी है उसकी? सवाल सीध यह है कि अगर अपने रूल्ज को हारमोनाइज कर देना है तो मैं इसकी हिमायत करूंगा। हम तो इसके हारमोनाइज करने के हक में हैं और इसकी हिमायत करते हैं।

दूसरी दिक्कत यह है कि चेयरमैन साहब को तो अख्तियार नहीं थे। मैं बिल्कुल सीरियस उस वक्त भी था और अब भी हूं। मैं आपके जरिए चौ. दल सिंह से अपोल करता हूं कि जो उन्होंने मैम्बरों के बारे में यह कहा और वजीरों के बारे में यह कहा कि वे आई.ए.एस. अफसरों की हाजरी देते हैं, या तो वे खुद विदड्रा कर लें वरना आप को अख्तियार है आप उसको ऐक्सपंज कर दें। हम सैल्फ रिसपैक्ट वाले एम.एल.एज. हैं, यह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और यह भी मानने के लिए तैयार नहीं कि काबलियत में हम सिकी आई.ए.एस. से कम हैं। हम अपनी जगह पर हैं और वे अपनी जगह पर हैं। वे अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं और हम जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी हुई कि आनरेबल मैम्बर ने यह कह दिया कि हमारे वजीर जो हम में से ही हैं, हमारी वोटों से बनते हैं वे किसी आई. ए.एस. के आगे उनकी खुशामद करते हैं। इसमें हमारी डायरैक्ट इनस्लट है। We are soverign body and we represent sovereign people. हाउस के अन्दर हमारी काबलियत का किसी ब्यूरोक्रैट से

मुकाबला करना, स्पीकर साहब मैं तो यह कहूंगा कि कांस्टिच्यूशन में भी किसी को अख्तियार नहीं दिया गया है हमारी काबलियत को किसी आई.ए.एस. से कम्पेयर करने का। हमने दो लाख आदमियों की नुमाइन्दगी करके काबलियत हासिल की है। वे बेचारे अपनी काबलियत से दूसरे तरीके से आए हैं, उनकी काबलियत उनके पास है। हमारी काबलियत हामरे पास है। हमारा और उनका कम्पेरीजन क्या है? सवाल सीधा यह कि या तो इस चीज को वे विदड्रा करें या आप ऐक्सपंज करें। मैंम्बर की हैसियत धीरे धीरे जिस तरह से डैमोक्रेटिक इंस्टिच्यूशंज में नीचे जा रही है, एम.एल.ए. का स्टेटस खुद उनकी निगाह में, ब्यूरोक्रेसी की निगाहों में, आम जनता की निगाहों में नीचे जा रहा है। अगर हमारा स्टेटस नीचे गया तो डैमोक्रेसी नहीं बच सकती। हर आनरेबल मेम्बर सी.एम. से ज्यादा इम्पौर्टेंट है, हर आनरेबल मैम्बर चीफ सैक्रेटरी से ज्यादा इम्पौर्टेंट है। अगर उनको इम्पौर्टेंस देनी है तो यह जो हम डैमोक्रेसी पर ऐक्सपैंस कर रहे हैं यह खत्म कर देना चाहिए।

स्पीकर साहब, मैं आप से फिर निवेदन करूंगा कि यह ऐक्सपंज किया जाना चाहिए या आप उनको कहें कि वे विदड्रा करें। मैं किसी आई.ए.एस. अफसर की हाजरी नहीं देता।

With these words I again request him that either he should withdraw those words or you may kindly expunge them.

चौ. हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़): स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे कई एक साथी हर चीज के ऊपर, उस चीज

के असूल को छोड़कर दूसरी बातों पर चले जाते हैं। बिल्कुल साफ बात है कि बहुत से शहरों की आबादी बढ़ गई है, म्यूनिसिपल कमेटीज का बजट बढ़ गया है और म्यूनिसिपल कमेटीज का काम बढ़ गया है। कुछ म्यूनिसिपल कमेटीज छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। जो म्यूनिसिपल कमेटीज बड़ी हैं उनमें ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो 700 रूपये तन्खाह पर नहीं आना चाहेंगे, उनको ज्यादा तन्खाह देनी पड़ेगी। इसमें सारे अलाउंसिज मिल कर इतनी तन्खाह की गई है। अगर उसकी खाली बेसिक तन्खाह को देखें तो कोई 400 रूपये के करीब होगी बाकी तो सारी दूसरी चीजें हैं। इन बदलते हुए हालात के अन्दर यह बिल्कुल दुरूस्त चीज है। हमें सही आदमी को ऐग्जैक्टिव औफिसर बनाना चाहिए क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। हां हम उनके लिए एक कानून ऐसा जरूर रखें ताकि हमें ठीक आदमी मिल जाए और बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी में हम लगा सकें।

दूसरी बात जो म्यूनिसिपल कमेटीज के मुलाजमीन की तन्खाह की बात है या काम की बात है उसका फैसला तो वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ही करेगी। यहां इस समय जो विचार हो रहा है वह ऐग्जैक्टिव अफसर की तनखाह करे बारे में है। अगर इस सवाल के साथ हम यहां कहें कि जमादार की तनखाह नहीं बढ़ी, वह तो म्यूनिसिपल कमेटी में ही होगा। उसको ग्रान्ट मिलेगी तो वहां के मजदूरों की तनखाह भी बढ़ेगी।

चौ. प्रताप सिंह दौलता ने पहले भी फरमाया था और अब भी फरमाया है कि एम.एल.एज. किसी के सामने न जाएं। कुछ एम.एल.एज. को भी कुछ दुरूस्त तरीके की बातें करनी चाहिएं।

हाउस में यहां पर आता तो कुछ और है और बात कुछ ओर की जाती है। मैं इस रैटिफिकेशन के बारे में यह अर्ज कर रहा था कि यह एक सीधी सी चीज है। और बहुत सी चीजें आएंगी, जैसे सप्लीमैंट्री ऐस्टिमेटस आयेंगे, उन पर हम बोल सकते हैं और हम उन पर कहेंगे भी। बहुत सी खराबियां हैं। लेकिन जिस वक्त हम वे खराबियां बतला सकते हों, वह वक्त भी देखना चाहिए। उस वक्त के मुताबिक वह बात ठीक भी होगी, अच्छी भी लगेगी और कही भी जाएगी लेकिन रैटिफिकेशन के बिल पर भी अमीरी–गरीबी का सवाल उठाया जाए और यह कहा जाए कि एक मजदूर की तन्खाह क्यों नहीं बढ़ी, अच्छा नहीं लगता। मुझे अफसोस है कि असूल बिल्कुल नहीं है। मुझे यह भी अफसोस है कि जब अश्योरैन्स दी गयी तो मैं हाउस में नहीं था। किसी को क्या अश्योरैन्स किस तरीके की दी गयी यह मुझे बाद में पता चला। लेकिन उस अश्योरैन्स के कोई मायने नहीं होने चाहिएं। क्योंकि अश्योरैन्स तो यह ही गयी कि हो सकता है कि हमारे पास गुंजायश हो, बहुत सी पोस्टें हैं, लेकिन हम किन्दी खास हालात के अन्दर उन पर आदमी नहीं लगा सकते!

लाजमी तौर पर यह कानून जरूर होना चाहिए कि बढ़े हुए भत्ते को, बढ़े हुए बजट को और बढ़े हुए काम को मददेनजर रखते हुए हम ऐसे आदमियों को हासिल कर सकें जो सात सौ रूपये में नहीं आ सकते ताकि हम उन्हें 1500 रूपये में ला सकें। यह तो मैक्सिमम है। मैं इस असूल की हिमायत करता हूं। यह ठीक है और बिल्कुल दुरूस्त है जो दौलता साहब ने फरमाया है कि ई.ओ. जैसे इतने छोटे अफसर की बात पर क्यों झगड़ा किया जाए? पता नहीं और कितनी चीजें है जो यहां पर कही गयीं। एक बात यह भी हुई कि या तो सबकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए या फिर घटा दी जाये। यह तो बहुत अधिक लम्बा मामला होगा। इसलिए सही चीज को हासिल करने के लिए हम एक असूल पर रहें। इन शब्दों के साथ ही मैं इस बिल की हिमायत करता हूं।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं इस बात की फिर साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने जो अश्योरैन्स दी थी, वह आरनेबल मैम्बर की स्पीच के बाद विदड्रा कर ली थी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि पटियाला म्यूनिसिपल (ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल,) पटियाला नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक,) पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब इस विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार किया जाएंगा।

क्लाज 1 की सब क्लाज (2)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 1 की सब क्लाज (2), विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

CLAUSE 2

Ch. Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir, I beg to move –

In clause 2, lines 2-3, for the workds "one thousand and five hundred rupees." substitute the words "one thousand rupees".

स्पीकर साहब, मैं तो यह सोच रहा था कि अब जब चीफ मिनिस्टर साहब ने अश्योरैन्स दे दी है, इस अमैंडमैंट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में अश्योरैन्स दी है, उसको ध्यान मे ंरखते हुए उन पर विश्वास करनार चाहिएं। परन्तु मैं कह नहीं सकता, उन्होंने जोश में आकर वापिस ले ली है या अब भी उस पर कायम हैं। .... (विघ्न) चूंकि वह अश्योरैन्स वापिस ले चुके हैं, इसलिए मैं इस अमैंडमैंट के बारे

में चन्द शब्द कहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसा बिल लाई है कि ई.ओ. की तनख्वाह 700 से 1500 रूपये कर देनी चाहिये, मैं समझता हूं कि आज के जमाने में इतनी भारी तनख्वाह, जो दी गयी है, ठीक नहीं है। जहां यह बात कही जाती हो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है ओर उसको हटाने के एिल हम समाजवाद ला रहे हैं, ऐसा करना उचित नहीं कहा जा सकता ऐसे मुश्किल टाईम के अन्दर किसी की 1500 रूपये तनख्वाह कर देना, समाजवाद नहीं हो सकता। यह तो साफ सरमायेदारी और सरमायेपरस्ती ही हो सकती है।

मैं 1959–60 में करनाल म्यूनिसिपैलिटी का प्रधान रहा हूं। फर्स्ट क्लास म्यूनिसिपैलिटी थी और उस वक्त वहां पर ऐग्जैक्टिव आफिसर नहीं थी। मैंने वहां पर बतौर प्रैजीडैन्ट ओर आनरेरी ऐग्जैक्टिव आफिसर का काम किया। शायद करनाल की म्यूनिसिपैलिटी का यह रिकार्ड है कि उन दो सालों में जो डिवैल्पमेंट हुई है, वह शायद उस अर्से और मौके के हिसाब से फिर न हो सकी हो। यह कहना कि एक बहुत ही काबिल अफसर वहां आ कर बैठेगा और वह इतनी बड़ी तनख्वाह ले करके ही अपनी काबलियत जाहिर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां बाद में ऐसा ही एक ई.ओ. लगा। उसका पांच सौ रूपया तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन जिस ऐफिसिऐंसी के साथ उसने वहां पर काम किया, वह अपनी मिसाल आप है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार बजाय इसके कि 1500 रूपये

तक तनख्वाह बढ़ाने की बात करती, जहां आज ही कुछ देर पहले हमने एक अमैंडमैंट को रैटिफाई किया है और जहां हम यह कह रहे हैं कि इस प्रिविलेजिज को खत्म करना चाहते हैं, जहां हम कह रहे हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, जहां हम यह कह रहे हैं कि गरीबी हटाने के लिये हम तत्पर हैं, वहां यह प्रस्ताव भी लाना चाहिए था कि जो आदमी 1000 या 1500 रूपये ले रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी हम 700 रूपये करें। ऐसी ही एक अमैंडमैंट जैसी कि कांस्टिच्यूशन में आई.सी.एस. अफसरों के प्रिविलेजिज खत्म करने के लिए की गयी है, इस बारे में भी आ सकती थी। मैं समझता हूं कि यह तनख्वाह बहुत ज्यादा है। शायद मिनिस्टर साहिबान भी इतनी तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिये एक म्यूनिस्पिैलिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये, जिसमें सैक्रेटरी भी रहता है, मैम्बर्ज भी रहते हैं और अनरेरी प्रैजीडैन्ट भी रहते हैं, ऐग्जैथ्क्टव आफिसर को, जिसका काम सिर्फ चुने हुए रिप्रेजैंटेटिवज द्वारा पास किये हुए प्रस्तावों पर ऐक्ट करना है, इतनी बड़ी तनख्वाह की प्रोविजन करना, पब्लिक के फन्डज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिये मैंने मौजूदा हालात को देखते हुए यह अमैंडमैंट आपके और हाउस के सामने रखी है। अगर ऐसी किसी म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर आवश्यकता आती है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो एक हजार रूपये तक की तनख्वाह को मानना चाहिये। यह मेरी अमैंडमैंट है और मैं आशा करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब और यह हाउस इसको मान लेगा।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (सोनीपत): स्पीकर साहब, आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अश्योरैंस दी थी। बदकिस्मती से, मजदूरी से या जजबात में बहकर उन्होंने वह विदड्रा कर ली। वैसे बात बड़ी नहीं थी। किन हालात मैं यह बिल लाना पड़ा कि किसी अफसर को 700 रूपये के बजाय 1500 रूपये मिल जायें, यह हमें पता नहीं है। हो सकता है he may be on the verge of retirement बहरहाल, फर्ज किया जैसे हिसार, रोहतक या अम्बाला जैसे बड़े शहर हैं, वहां पर किसी को ई.ओ. अप्वांयट करना पड़ जायें, जैसे चौ. दरद्वारी लाल जी ने फरमाया कि फर्ज किया एक काबिल आई. ए.एस. अफसर को वहां लगाना हो, उसके स्टेटस के मुताबिक और काम के मुताबिक, जिसने इतनी बड़ी म्यूनिसिपैलिटी का काम ऐक्सिक्यूट करना हो, यह तनख्वाह देना उचित ही है। फिर हय कहना कि जब 6 महीने बाद एक बिल इस बारे में आ रहा है तो इतनी जल्दी क्या थी, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है और इसके विरोध की जरूरत नहीं है। चौ. राम लाल ने तो putting the cart before the horse वाली बात कर दी। 700 रूपये से 1000 रूपये तो कर दें लेकिन 1500 न करें, यह उनकी अमैंडमैंट आयी है। इन्होंने प्रिंसिपल को तो मान लिया है लेकिन आर्गुमैंट ऐडवान्स ये किये हैं कि चूंकि गरीबी आ गयी है इसलिये इस मंहगाई के जमाने में 700 रूपये से एक हजार रूपये तक तनख्वाह करते, तो बात बनती। वे प्रिंसिपल को तो मान गये लेकिन मैक्सिमम उन्होंने 1500 की बजाय 1000 कर दिया। इसके लिये मेरा कहना यह है कि जैसा काबिल आदमी होगा यानी जैसा बैल क्वालिफाईड

अफसर होगा, उसके अनुसार ही उसको तनख्वाह दी जायेगी और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब अपने जवाब में बता देंगे। अन्त में मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

In clause 2, lines 2-3, for the words "one thousand and five hundred rupees" substitute the words "one thousand rupees".

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

In clause 2, lines 2-3, for the words "one thousand and five hundred rupees" substitute the words "one thousand rupees".

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1 की सब–क्लाज (1)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 1 की सब–क्लाज (1) विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि शीर्षक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Ch. Bansi Lal: Sir, I beg to move

That the Patiala Municipal (Executive Officers) Haryana Amendment Bill (पटियाला नगरपालिका (कार्यपालक–अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्तुत पेश हुआ –

कि दी पटियाला म्यूनिसिपल (ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल (पटियाला नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक) पारित किया जाए।

चौ. चांद राम (बबैन, एस.सी.): स्पीकर साहब, वैसे तो इस समय यह प्रस्ताव पास होने जा रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को एक चीज करनी चाहिए कि जो दो तरह के कानून यानी पंजाब ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज ऐक्ट और पटियाला ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज ऐक्ट लागू हैं, इनको एक कर दिया

जाए। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि कुछ म्यूनिसिपल कमेटीज पर पटियाला ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज ऐक्ट लागू हो और कुछ पर पंजाब ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज ऐक्ट लागू हो। मैं सन् 1950–52 तब ऐग्जैक्टिव आफिसर था और मेरे ख्याल में अमृतसर की म्यूनिसिपल कमेटी तनख्वाह के आधार पर रोहतक की म्यूनिसिपल कमेटी के बराबर थी। उस समय 550–700 के ग्रेड में था और मेरा प्रैडिसैसर 340 रूपए के ग्रेड में था और उस समय 1000 रूपये की तनख्वाह का प्रोविजन था। (व्यवधान) खैर मेरी तनख्वाह के बारे में इस वक्त कोई विवाद नहीं था। मैं उस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता यह तो वैसे ही बात चल पड़ी थी। मेरा तो यही सुझाव है कि इन दोनों ऐक्टस को एक कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अगले अधिवेशन में म्यूनिसिपल ऐक्ट आ रहा है उसमें यह कर दिया जाएगा।

चौ. चांद राम: मुख्यमंत्री साहब ने अगर यह आश्वासन दिया है कि दोनों को एक कर दिया जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तुत पेश हुआ –

कि दी पटियाला म्यूनिसिपल (ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल (पटियाला नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) हरियाणा संशोधन विधेयक) पारित किया जाए।

दी पंजाब लेजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज आफ मैम्बर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1972

Chief Minister: (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Haryana Amendment Bill, 1972. (पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1972)

Sir, I also beg to move –

That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Haryana Amendment Bill.

(पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियणा संशोधन विधेयक, be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ –

कि दी पंजाब लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज आफ मैम्बर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, (पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियाणा संशोधन विधेयक) तुरन्त विचार किया जाए।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं (व्यवधान) मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। यहां पर गल्त बात कहीं गई है। जिम्मेदारी आदमी को गल्त बात नहीं कहनी चाहिए। आप चाहें तो रिकार्ड देख लें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है देख लेंगे।

चौ. रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो बिल है वैसे तो इसा पर कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक बहुत छोटा सा बिल है लेकिन मैं एक–दो बातें कहना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां तक मैम्बरों की सेलरीज का ताल्लुक है, मैम्बरों के अलाउंसिज का ताल्लुक है, मैम्बरों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिएं वे सब गवर्नमैंट की तरफ से दी जाती हैं। कम्पेनसेटरी अलाउन्स में बढ़ौतरी हुई, रोजाना के अलाउन्स में बढ़ोतरी हुई। मैम्बरों को न सिर्फ बस तथा रेल द्वारा सफर करने की फेसिलिटी दी गई बल्कि हवाई जहाज से सफर करने की भी सहूलियत दी गई। (व्यवधान) यह सारी बात ठीक है और इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जहां यह बिल लाए हैं लेकिन इन्होंने एक बात का ख्याल नहीं रखा की जो मैम्बर 1972 के इलैक्शन में चुनकर आए हैं, उनके सिर पर गरीबी हटाने की बहुत भारी जिम्मेदारी डाली गई है। समाजवाद लाने की जो जिम्मेदारी डाली गई है खासतौर से कांग्रेस में मैम्बरों अथवा रूलिंग पार्टी के मैम्बरों के सिर पर यह जिम्मेदारी बहुत ही अधिक है। स्पीकर

साहब, 14 तारीख का मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में तथा गवर्नर साहब के भाषण में यह बात फरमाई गई कि स्वतन्त्रता की जो लड़ाई थी उससे भी ज्यादा बढ़कर मेहनत के साथ की जाने वाली यह गरीबी हटाने की तथा आर्थिक विषमता को दूर करने की लड़ाई लड़ी जानी है। अब उससे भी ज्यादा हिम्मत तथा मेहनत से काम करने की आवश्यकता है। स्पीकर साहब, आप तो खुद आजादी की लड़ाई में बहुत ही प्रसिद्ध सैनानी रहे हैं। आपने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। घर–घर में जाकर प्रचार करने में मेहनत करनी पड़ी और आपने यह काम उस समय किया जबकि महात्मा गांधी का नाम लेने तक से लोग डरते थे। चार आने का कांग्रेस का मैम्बर बनने की जुर्रत लोगों की नहीं होती थी। लोगों ने आजादी के लिए बड़े–बड़े कष्ट सहे, कुर्बानियां दीं और आज उससे भी ज्यादा अहम फरायज कांग्रेस पार्टी के मैम्बरान को पूरे करने हैं, उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी का काम करना है। सभी भाईयों को गरीबी हटाने के लिए घर–घर जाना पड़ेगा, मोहल्ले–मोहल्ले में जाना पड़ेगा और फिर महज रोडवेज के पास से काम नहीं चल सकता, रेल के पा से काम नहीं चल सकता। कई ऐसी जगह होगी जहां पर टैक्सी के द्वारा जाने की जरूरत पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि रोडवेज और रेल ......
.....

चौ. बंसी लालः ऐटलस वालों के साइकिल खरीद कर चौ. रिजक राम को दे देंगे (हंसी)।

एक आवाजः ऐटलस वालों की कम्पनी इनके घर के पास ही है।

चौ. रिजक रामः स्पीकर साहब, तो मैं कह रहा था कि टैक्सी के परमिट का भी इन्तजाम कर दें और जहां पर गलियां वगैरह ज्यादा हां, वहां जाने में तकलीफ न हो, रिक्शा वगैरह का परमिट भी दे दें या पालकी का इन्तजाम कर दें।

चौ. बंसी लालः स्पीकर साहब, चौ. रिजक राम जी के लिये तो पालकी का इन्तजाम कर देंगे।

चौ. रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। दिन भर घूमने से बेचारे एम.एल.एज. को थकान वगैरह हो जाएगी और अब तो सरकार की मेहरबानी भी हुई है, गली–गली मुहल्लों–मुहल्लों में शराब के ठेके खुल गये हैं ....

चौ. बंसी लालः स्पीकर साहब, चौ. रिजक राम जी भी हमारे कस्टमर बने हैं।

चौ. रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ इन्तजाम होते हुए भी इन बेचारों की ऐसी हालत है कि शाम को थकान भी दूर करने का उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि मुख्यमंत्री जी की उनके ऊपर बहुत सी पाबन्दियां है। ऐसा नहीं होना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक–एक परमिट भी उन्हें दे दिया जाए ताकि वे अपनी थकान का दूर कर सकें। स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज

करूंगा कि जहां पर सरकार की तरफ से इतनी सहूलियतें दी गई है, इन सारी मुश्किलातों को देखते हुए इस किस्म की सहूलियतें भी मुहैया होनी चाहियें। स्पीकर साहब, एक बात मैं अपोजीशन की तरफ से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अब तक किस की तरफ से थीं?

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, अपोजीशन के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी बहुत मेहरबान हैं। हमारे साथ अपोजीशन के कुछ ऐसे मैम्बर थे जोकि हमारी ही पार्टी से चुनकर आए थे, उनको इस बात की बड़ी तड़प थी कि वे ....

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, इसकी रैलेवैन्सी क्या है?

चौ. रिजिक राम: स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि जहां तक वे हमारे भाई पहुंचे हैं, उसके लिये उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना आराम भी छोड़ दिया। जिस्म पर भगवें कपड़े डाले। अब तो शायद कुछ नहीं लेकिन जो उनका स्कूल, कालेज का वक्त था, उस वक्त गोरे जिस्म को हाथ लगाकर वह यकीन नहीं कर सकते थे कि उस पर भगवें कपड़े डाले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप इस बिल पर ही रहें तो अच्छा है।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी ने उनका दुःख दूर किया है लेकिन मैं एक बात कहकर खत्म करता हूं कि जो मेरे साथी हैं, उनके साथ बड़ा धक्का हो रहा है, उनका वह दुःख जरूर दूर करना चाहियें।

श्री अध्यक्ष: इस अमैंडमैंट से तो कोई धक्का नहीं हो रहा है चौधरी साहब।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, कुछ हमारे साथियों ने ख्वाहिश जाहिर की कि वे कांग्रेस पार्टी में दाखिल होना चाहते हैं और उन्होंने लिख कर भी मुख्यमंत्री जी को दिया है।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, चौ. रिजक राम जी भी चौ. हरद्वारी लाल के पीछे वाली कुर्सी चाहते हैं।

चौ. रिजक राम: तो स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता था कि जिन्होंने दरख्वातें दी हैं, उनको दूर बिठा दिया गया और बीच में एक बड़ी दीवार भी खड़ी कर दी ताकि वे इधर उधर न जा सके। और हमने जिन्होंने दरख्वास्तें नहीं दीं उनको इन्होंने कांग्रेस वालों के करीब बिठा दिया है। शायद हो सकता है कि इसमें कोई दफतर की गल्ती हुई हो। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न बोलता हुआ, आज जो यह बिल जेरे गौर है, उसकी मैं ताईद करता हूं और मैं

उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों पर मुख्यमंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

चौ. हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़): स्पीकर साहब, वैसे बिल वाली बात तो सब को मन्जूर है। शादियों में देहातों के अन्दर डूमनियां होती हैं, वे बहुत देर तक सीठनियां देती रहती है और बारात के हैडों से कुछ मांगती हैं ओर जब तक उनको कुछ न मिले तब तक वे बोलती रहती है, कहती रहती है। सो यह सब कुछ जो सीठनियां मिल रही है, चौ. बंसी लाल जी को मिल रही हैं। वे अगर चाहें तो इन डूमनियों का मुंह बन्द कर सकते हैं। (हंसी)

चौ. दल सिंह: एक डूमनी का मुंह तो इन्होंने बन्द कर दिया है। (हंसी)

(चौ. रिजक राम फिर बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अब तो आप बहुत कुछ बोल चुके हैं।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि क्या एक मैम्बर किसी दूसरे आनरेबल मेम्बर को डूमनी कह सकता है?

चौ. बंसी लाल: डूमनी शब्द अन-पार्लियामेन्ट्री नहीं है।

चौ. मेहर चन्द (बड़ोपल): स्पीकर साहब, आज आपने इतनी मेहरबानी फरमाई कि इस बिल पर इररैगुलेरिटी करने की इजाजत दी। अगर थोड़ी सी इररैगुलैरिटी मुझे भी करने की इजाजत मिल जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। स्पीकर साहब, यहां पर तो इन्होंने बिल पर बोलते हुए एक दूसरे मैम्बरों को उलाहने देने शुरू कर दिये। मैं तो आपसे एक ही अर्ज करना चाहता हूं कि हरेक एम.एल.ए. को एक–एक स्टैनोग्राफर मिलना चाहिये क्योंकि हमें देहातों में जाना पड़ता है, लोगों की ग्रिवैन्सिज भी सुनने पड़ते हैं, उन्हें पर्सू भी करना होता है और अफसरों के दरवाजे भी नौक करने होते है। उतना काम शायद अफसरों के पास नहीं होता जितना कि काम हमारे पास होता है। इसलिये मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमें एक एक स्टैनोग्राफर मिलना चाहिये और चाहे दूसरों को हिन्दी के दें या अंग्रेजी के दें पर मुझे तो अंग्रेजी स्टैनोग्राफर ही मिलना चाहिये।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, एक बात काम की आ गई चौ. मेहर चन्द जी ने जो एम.एल.एज. के लिए स्टैनोज की मांग के बारे में कही। मैं आपकी मारफत यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हरेक एम.एल.ए. के लिए एक–एक स्टैनों देना तो बहुत मुश्किल है, मगर जैसे पार्लियामैंअ में सैशन के दौरान एम.पीज. को कुछेक हिन्दी और अंग्रेजी के स्टैनों काम करने के लिए दिए जाते हैं उसी तरीके से आप भी एक, दो या तीन, जितने स्टैनों आप मुनासिब समझें हम से मांग लें। हम सैशन के दिनों

में यहां पर आप को दे दिया करेंगे। इस बात में हमें कोई एतराज नहीं है।

चौ. रिजक राम: चौधरी साहब, उनकी बात तो आपने मान ली, एक बात मेरी भी मान लीजिए।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैंने तो एक बात शुरू में ही कही थी। एम माननीय मैम्बर ने कहा था कि चौ. रिजक राम अपना गला साफ कर रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि गला साफ कराने की दवाई उनके पास नहीं है, मेरे पास है। उसके बाद लीडर आफ दी अपोजीशन ने भी उनकी बड़े अच्छे ढंग से सिफारिश की। तो मैं उस पर गौर करूंगा।

चौ. रहीम खां (नूह): स्पीकर साहब, जो स्टैनोग्राफर की मांग की गई है वह बजा मांग है इसलिए अगर मुमकिन हो सके तो सरकार सब एम.एल.एज. को अपने अपने हैडक्वार्टर्ज पर काम करने के लिए स्टैनोग्राफर दिए जाएं। बस मैं इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं पहले तो मैं पार्लियामैंट के बेसिज पर कर रहा हूं और अगर उनको वहां पर सबको अलहदा–अलहदा स्टैनोग्राफर मिल जाएंगे तो मैं अपने आनरेबल मैंबर्ज को भी पीछे नहीं रहने दूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि दी पंजाब लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज आफ मैम्बर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल (पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियाणा संशोधन विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब विधेयक पर सदन क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 2 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 1 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि शीर्षक विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Ch. Bansi Lal: Sir, I also beg to move –

That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Haryana Amendment Bill (पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियाणा संशोधन विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि दी पंजाब लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज आफ मैम्बर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल (पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियाणा संशोधन विधेयक) पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि दी पंजाब लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज आफ मैम्बर्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल (पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) हरियाणा संशोधन विधेयक) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दी हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज रेंड लैंड (इविक्शन एेंड रैंट रिकवरी) बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Rcovery) Bill 1972 (हरियाणा लोक स्थान तथा भुमि (बेदखली तथा किराए की वसूली) विधेयक, 1972)

Ch. Bansi Lal: Sir, I also beg to move –

That the Haryana Public Premises and Land (Evicition and Rent Recovery) Bill (हरियाणा लोक स्थान तथा भूमि (बेदखली तथा किराए की वसूली विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि दी हरियाणा पब्लिक प्रिमिसज ऐंड लैंड (इक्विशन ऐंड रैंट रिकवरी) बिल (हरियाणा लोक स्थान तथा भूमि (बेदखली तथा किराए की वसूली विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

राव दलीप सिंह (कनीना): स्पीकर साहब, यह जो बिल आज हमारे सामने आया है मैं समझता हूं यह एक बहुत अच्छा बिल है क्योंकि बहुत सी गवर्नमैंट की ऐसी जगहें हैं जिन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है, वे सब जमीनें उनसे छुडवाने में यह बिल सरकार के हाथ मजबूत करेगा। इस बिल का जो सैक्शन 11 है उसमें ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वह दोषी को एक हजार रूपया जुर्माना और एक साल की कैद की सजा दे सकता है। मेरे ख्याल में सजा देने की

पावर ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट की बजाए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को होनी चाहिए। ऐसे केसिज की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही इन्क्वायरी करे ओर वही सजा दे। इसके इलावा स्पीकर साहब इस बिल में जो एक साल की सजा वाली कलाज है उसके लिए कोई अपील को प्रोविजन नहीं रखा गया कि वह किस कोर्ट में लाई करेगी। सैक्शन पांच और सात के बारे में तो अपील का दिया हुआ है लेकिन इसमें यह भी दर्ज होना चाहिए कि सैक्शन 11 की जो अपील होगी वह सैशन्ज जज को लाई करेगी।

चौ. बंसी लालः स्पीकर साहब, यह एक फण्डामैंटल प्रिंसिपल है कि किसी भी कानून में चाहे सजा एक दिन की हो या एक साल की हो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन्ज जज को लाई करती है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि दी हरियाणा पब्लिक प्रिमिसज ऐंड लैंड (इक्विशन ऐंड रैंट रिकवरी) बिल (हरियाणा लोक स्थान तथा भूमि (बेदखली तथा किराए की वसूली विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब विधेयक पर सदन क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब–क्लाज 2 तथा 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 1 की सब–क्लाज (2) और (3) विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः क्लाज 2 में चौ. राम लाल जी का संशोधन है, अब वह उसे पढ़कर हाउस में पेश करेंगे।

(चौ. राम लाल हाउस में मौजूद नहीं थे)

कि क्लाज 2 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः क्लाज 3 में चौ. राम लाल जी की अमैंडमैंट है वह उसे पढ़कर सुना सकते हैं।

चौ. राम लाल वधवा: क्लास 2 में भी मेरी अमैंडमैंट थी।

श्री अध्यक्ष: वह तो निकल गई है और पास हो चुकी है।

चौ. राम लाल वधवा: क्लाज 3 के बारे मे ंजो मेरी तरमीम है उसे मैं विदड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

CLAUSE 4

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move –

In sub-clause (2) (b) of clause 4, in line 5 for the words 'ten days from the date of issue thereof' substitute "fifteen days from the date of service thereof."

स्पीकर साहब, यह जो दस दिन की मयाद है यह कम से कम 15 दिन होनी चाहिए ताकि जो लो औबजैक्शन्ज देना चाहें उनको रीजनेबल टाईम मिल सके। मेरा ख्याल है कि इसे मिनिस्टर साहब स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: इस क्लाज में जितने आपके और संशोधन हैं वे भी पढ़ दीजिए।

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move –

In sub-clause (3) of clause 4, in lines 3-4, for 'and in such other manner as may be prescribed' substitute "and publish it in a wide criculated newspaper".

Sir, I also beg to move –

In sub-clause (4) of clause 4, in line 4, for "post" substitute "post under registered cover."

5.00 P.M.

स्पीकर साहब, ये जो मैंने अमैंडमैंटस दी हैं जो नोटिस दिया जाना है उससे सम्बन्धित हैं। अगर इसको मान लिया जाए तो जिस पार्टी को नोटिस जाना है और सरकार के लिए भी जिसने नोटिस देना है दोनों के लिए सुविधा रहेगी और केस लम्बा नहीं होगा। इस लिए एक ही बार सफिशैन्ट अपर्चुनिटी दे दी जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने यह तीनों अमैंडमैंटस दी हैं ओर यह सिर्फ टैक्निकल नेचर की हैं। मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय को इनको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह उनके लिए सुविधा की बात है ताकि जिस पीरियड में नोटिस दिया जाना है वह उसे टाईम पर मिले और उसकी सर्विव पूरी तरह से हो जानी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इनको स्वीकार करें।

Mr. Speaker: Motions moved –

In sub-clause (2) (b) of clause 4, in line 5 for the words 'ten days from the date of issue thereof' substitute "fifteen days from the date of service thereof."

In sub-clause (3) of clause 4, in lines 3-4, for 'and in such other manner as may be prescribed' substitute "and publish it in a wide criculated newspaper".

In sub-clause (4) of clause 4, in line 4, for "post" substitute "post under registered cover."

Mr. Speaker: Question is –

In sub-clause (2) (b) of clause 4, in line 5 for the words 'ten days from the date of issue thereof' substitute "fifteen days from the date of service thereof."

In sub-clause (3) of clause 4, in lines 3-4, for 'and in such other manner as may be prescribed' substitute "and publish it in a wide criculated newspaper".

In sub-clause (4) of clause 4, in line 4, for "post" substitute "post under registered cover."

The motions were lost.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि क्लास 4 बिल का अंग बने।

CLAUSE 5

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move –

In sub-clause (1) of clause 5, in line 7, after the words “date a s may be specified in the order”, insert “but not less than thirty days which required for appeal”.

स्पीकर साहब, यह एक टैक्निकल सी बात है जो इसमें रह गई है इसलिए मैं इसे मंत्री महोदय के नोटिस में लाया हूं कि इसमें मेरी इस अमैंडमैंट के जरिये यह प्रोविजन कर दिया जाये। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है बल्कि कानून की नजर में अच्छी बात है कि यह नुक्स दूर हो जाये। इसमें लिखा है कि किस डेट को उस जगह को खाली करना है वह डेट आर्डर में पब्लिश करेंगे लेकिन मैंने यह किया है कि यह डेट इसमें मुकर्रर कर देनी चाहिये क्योंकि सैक्शन 9 में अपील का प्रोविजन है और वह अपील 30 दिन के अन्दर हो सकती है। इसलिये मैंने यह अमैंडमैंट दी है कि अपील के पीरियड को लेकर ही डेट आर्डर में पब्लिश करनी चाहिये। मेरा ख्याल है कि यह मुनासिब बात है और मंत्री महोदय इसे स्वीकर करेंगे।

Mr. Speaker: Motion moved –

In sub-clause (10 of clause 5, in line 7, after the words “date as may be specified in the order”, insert “but not less than thirty days which required for appeal.”

Mr. Speaker: Question is –

In sub-clause (10 of clause 5, in line 7, after the words “date as may be specified in the order”, insert “but not less than thirty days which required for appeal.”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 5 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 6

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 6 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 7

चौ. राम लाल वधवा: क्लाज 4 में जो मैंने अमैंडमैंट दी थी उसको हाउस ने नहीं माना है और इस अमैंडमैंट का उसके साथ सीधा सम्बन्ध है इसलिये मैं इसे मूव नहीं करता हूं क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 7 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 8

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 8 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

CLAUSE 9

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move –

(i) After sub-clause (2) of clause 9, add the following new sub-clause (3):-

"(3) the appeal shall accompany with a copy of order against which the appeal has been preferred" , and

(ii) the existing sub-clauses (3), (4) and (5) be renumbered as sub-clauses (4), (5) and (6), respectively.

स्पीकर साहब, यह भी एक टैक्निकल गलती है जो इस बिल के इस सैक्शन में रह गई है। यहां लिखा है कि अपील हो सकती है लेकिन अपील काफी आफ आर्डर के ऊपर ही हो सकती है और वह कापी उसके साथ लगी होनी चाहिए यह प्रोविजन इसमें रह गया है। इसलिये मैंने यह अमैंडमैंट दी है और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्पीकार करेंगे।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

(i) After sub-clause (2) of clause 9, add the following new sub-clause (3):-

"(3) the appeal shall accompany with a copy of order against which the appeal has been preferred" , and

(ii) the existing sub-clauses (3), (4) and (5) be renumbered as sub-clauses (4), (5) and (6), respectively.

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

(i) After sub-clause (2) of clause 9, add the following new sub-clause (3):-

"(3) the appeal shall accompany with a copy of order against which the appeal has been preferred" , and

(ii) the existing sub-clauses (3), (4) and (5) be renumbered as sub-clauses (4), (5) and (6), respectively.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज 9 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 10

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि क्लाज 10 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 11

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि क्लाज 11 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 12

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है—

कि क्लाज 12 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 13

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 13 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 14

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 14 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 15

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 15 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 16

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 16 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 17

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 17 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 18

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 18 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 19

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है–

कि क्लाज 19 बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1 की सब–क्लाज (1)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि क्लाज क्लाज 1 की सब–क्लाज (1) बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि शीर्षक बिल का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Ch. Bansi Lal: Sir, I beg to move –

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Bill (हरियाणा लोक स्थान तथा भूमि (बेदखली तथा किराये की वसूली) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि दी हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज ऐंड लैंड (इविक्शन ऐंड रैंट रिक्वरी) बिल हरियाणा लोक स्थान तथा भूमि (बेदखली तथा किराये की वसूली) विधेयक) पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है –

कि दी हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज ऐंड लैंड (इविक्शन ऐंड रैंट रिक्वरी) बिल हरियाणा लोक स्थान तथा भूमि (बेदखली तथा किराये की वसूली) विधेयक) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब सदन कल प्रातः साढ़े नौ बजे तक के लिए स्थगित होता है।

5.12 अपरान्ह

(इसके बाद सभा वीरवार को प्रातः 9.30 तक के लिए स्थगित हो गई)